Asha

पाँचवीं वार्षिक प्रतिवेदन

वित्तीय वर्ष 2019-20

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
(कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित)

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का प्रदर्शन

विवरण	31 मार्च को समाप्त वर्ष (राशि लाखों में)			
	2020	2019	2018	2017
संचालन से राजस्व	7,323.23	3,938.94	2,437.75	367.3
अन्य आय	12.46	7.67	4.38	26.58
कुल आय	7,335.69	3,946.61	2,442.14	393.9
सामग्री की लागत सहित कुल व्यय	7,134.62	3,903.24	2,423.17	393.9
पूर्व अवधि समायोजन और कर से पूर्व लाभ	201.06	43.37	18.97	-
पूर्व अवधि समायोजन - आय	(3.79)	3.43	-	-
कर पूर्व लाभ / (हानि)	197.27	46.8	18.97	-
कर हेतु प्रावधान	32.70	8.85	5.02	0.05
करोपरांत लाभ / (हानि)	164.57	37.95	13.96	-0.05

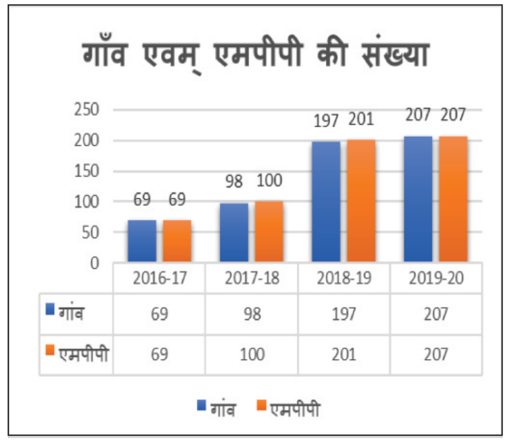

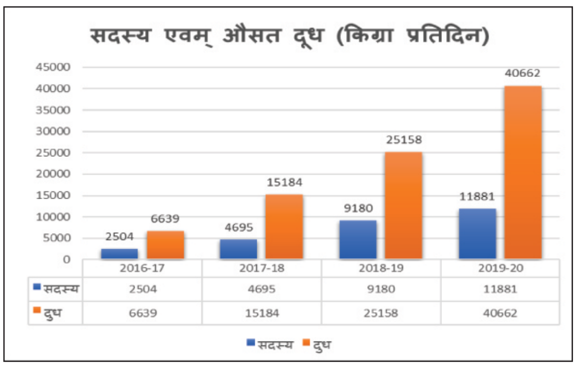

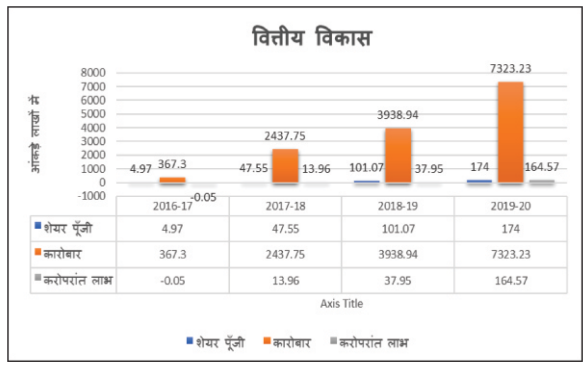

कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन

निदेशक मण्डल

श्रीमति कन्या देवी	—	अध्यक्ष
श्रीमति रेखा देवी	—	निदेशक
श्रीमति सागर कंवर	—	निदेशक
श्रीमति पुष्पा कंवर	—	निदेशक
श्रीमति सुखि देवी	—	निदेशक
श्रीमति रेखा कंवर	—	निदेशक
श्रीमति सीता कंवर	—	निदेशक
श्रीमति लक्ष्मी कुमारी	—	अतिरक्त निदेशक
श्री बलजिंदर सिंह	—	विशेषज्ञ निदेशक
श्रीमति रचना देवधर गोयल	—	विशेषज्ञ निदेशक
श्री धर्मेंद्र कुमार	—	मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

कंपनी सचिव

श्री यज्ञ देव शर्मा

प्रबन्धक–वित्त एवं लेखा

श्री मणिक बाहेती

वैधानिक अंकेक्षक

मेसर्स कालानी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
जयपुर

आंतरिक अंकेक्षक

मेसर्स रे एंड रे कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
मुंबई

बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उदयपुर

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बाली, पाली

एच.डी.एफ.सी. बैंक, उदयपुर

अनुक्रमणिका

विवरण	प्रष्ठ सं.
1. निदेशकों का प्रतिवेदन	3
2. स्वतंत्र अंकेक्षकों का प्रतिवेदन	10
3. वित्तीय विवरण	18

पंजीकृत कार्यालय

हाउस न. 14, वर्मा कॉलोनी, सविना
हिरण मगरी, सैक्टर –9, उदयपुर, 313002
दूरभाष संख्या– 0294–2481466 / ई–मेल info@ashamilk-com

नोटः हिन्दी भाषा में अनुवादित दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता पाये जाने पर अँग्रेजी भाषा में लिखित दस्तावेज ही अंतिम रूप से मान्य होंगे।

अध्यक्षा का सम्बोधन

प्रिय सदस्य बहनों,

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की पाँचवीं वार्षिक आम सभा में, मैं कन्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ।

जैसा की आप सभी को विदित है कि हमारी कंपनी का निगमन 21 मार्च 2016 को हुआ था ताकि गाँव स्तर पर ही हमारे घर का बिक्री योग्य सारा का सारा दूध उचित मूल्य पर पारदर्शिता के साथ बिक जाये और साथ ही साथ दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए पशुओं के लिए प्रजनन, खाद्य / चारा, पशु चिकित्सा के क्षेत्र में तकनीकी व प्रबंधकीय सेवाएँ गाँव स्तर पर ही उपलब्ध हो सकें। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी का कुल कारोबार 73.23 करोड़ रुपये का रहा है । कंपनी ने कर भुगतान के बाद 1. 64 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया । कंपनी ने आपके द्वारा दुग्ध प्रतिपूर्ति की वचन बद्धता के आधार पर वित्त वर्ष 2019–20 के लिए कुल 27.44 लाख रुपए लोयल्टी इन्सेटिव दिया था। कंपनी के निदेशक मण्डल ने समता अंशो पर सीमित लाभांश देने की अनुशंसा की है । सदस्यों से कुल लगभग 150 लाख लिटर दूध का संग्रहण वर्षभर मे किया गया।

सदस्यों की मांग पर लगभग 1,200 मेट्रिक टन पशु आहार, लगभग 8,700 किलो ग्राम खनिज मिश्रण एवं लगभग 26,000 लिटर कैल्सीयम की बिक्री भी कंपनी द्वारा की गयी है । किसानों में पशु आहार, खनिज मिश्रण और कैल्सीयम की बढ़ती हुई मांग का मुख्य कारण आशा द्वारा चलायी जा रहे आहार संतुलन कार्यक्रम की लोकप्रियता है। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस वित्त वर्ष के अंत तक हमारी कंपनी का कारोबार 500 गावों तक हो जाएगा।

मैं निदेशक मण्डल एवं कंपनी के सभी सदस्यों की ओर से धानी फाउंडेशन के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होने आर्थिक सहायता प्रदान कर हमे स्वावलंबी बनने का अवसर दिया है । मैं एनडीडीबी डेयरी सर्विसेस के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होने हमे अपनी शक्ति का एहसास कराया । उनके द्वारा प्रदान किए गए सतत सहयोग और प्रोत्साहन के लिए कंपनी हमेशा कृतज्ञ रहेगी। कंपनी की इनपुट सेवाओं मे सीएमएफ का काफी सहयोग रहा जिसके लिए कंपनी उनका आभार व्यक्त करती है।

साथ ही मैं अपने सभी कर्मचारियों को भी धन्यवाद देती हूँ जिनके सहयोग, समर्पण एवं कड़ी मेहनत के बिना कंपनी का इतना समग्र विकास संभव नहीं था ।

अपने दीर्घ दृष्टि के अनुरूप, हमे पूर्ण विश्वास है कि 2025 तक हमारी कंपनी राजस्थान राज्य की सर्वेश्रेष्ठ कंपनियों में से एक होगी और इस क्षेत्र के महिला दूध उत्पादकों को दूध से बेहतर लाभ देकर एवं अन्य सेवाएँ मुहैया उपलब्ध करा कर उनके आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी ।

शुभ कामनाओं सहित

आपकी विश्वसनीय

कन्या

निदेशकों की रिपोर्ट

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों के लिए:–

निदेशकों को 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के अंकेक्षित खातों के साथ पाँचवीं वर्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

कम्पनी का निगमन, एक उत्पादक कम्पनी के रूप में 21 मार्च 2016 को कम्पनी अधिनियम 1956 के भाग XIA के प्रावधानों के तहत राजस्थान राज्य में सदस्यों के दुग्ध का संग्रहण, क्रय तथा प्रसंस्करण करने एवं उनके विपणन तथा इससे जुड़ी सभी प्रकार की प्रासंगिक गतिविधियों के लिए किया गया था।

वित्तीय परिणाम (Financial Results)

31 मार्च 2020 को समाप्त हुई अवधि के लिए कम्पनी का वित्तीय प्रदर्शन संक्षिप्त में निम्न प्रकार है–

(राशि लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
परिचालन से आय	7,323.23	3,938.94
अन्य आय	12.46	7.67
कुलआय	7,335.69	3,946.61
माल की लागतसहित व्यय	7,134.62	3,903.24
पूर्व अवधि के समायोजन और कर से पूर्वलाभ	201.06	43.37
पूर्व की अवधि के समायोजन–आय	(3.79)	3.43
कर से पूर्व अवधि का लाभ/(हानि)	197.27	46.80
क्र हेतु प्रावधान	32.70	8.85
कर के बाद अवधि का लाभ/(हानि)	164.57	37.95

कम्पनी के परिचालन का विवरण (State Of The Company's Affairs)-

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परिचालन से कुल राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 3,938.94 लाख से बढ़कर 7,323.23 लाख हो गया, इस प्रकार इसमें 86 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वर्ष के कुल व्यय रूपये 3,903.24 लाख की तुलना में बढकर 7,134.62 लाख रूपये रहे हैं। कर के बाद लाभ पिछले वर्ष में 37.95 लाख की तुलना में बढकर 164.57 लाख रुपये हो गया हैं।

सीमित लाभांश (Dividend)

निदेशक मण्डल ने रूपये 7/– (सात रूपये मात्र) प्रति समता अंश की दर से कुल रूपये 9,10,378/– (नौ लाख दस हजार तीन सौ अठहत्तर रूपये मात्र) सीमित लाभांश (डिविडेंड) की राशि देने की अनुशंसा की है। सीमित लाभांश (डिविडेंड) का भुगतान केवल उन्हीं सदस्यों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च 2020 को कम्पनी के सदस्यता रजिस्टर में पंजीकृत है।

सामान्य संचय में हस्तान्तरण (Transfer to General Reserve)

कम्पनी के अन्तर्नियम के अनुच्छेद 11.10 के साथ कम्पनी अधिनियम, 1956 की सपठित धारा 581ZI के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मण्डल ने कर पश्चात लाभों में से रूपये 1,55,46,572/–(अक्षरे एक करोड़ पचपन लाख छियालीस हजार पांच सौ बहत्तर रूपये मात्र) की राशि को चिठ्ठे में सामान्य संचय में क्रेडिट के लिए हस्तान्तरण करने का प्रस्ताव दिया है।

परिचालन की समीक्षा (Review of Operations) -

दुग्ध संकलन (Milk Procurement)

कम्पनी दुग्ध संकलन का परिचालन एक एमसीसी (दुग्ध शीतलन केंद्र) और एक बीएमसी (थोक दुग्ध शीतलक) लोकेशन के माध्यम से राजस्थान राज्य के पाली और सिरोही जिले में 31 मार्च 2020 तक 207 एमपीपी (दुग्ध संकलन केंद्रों) की स्थापना करके कर रही है जिसमें 204 गांव आते हैं। वर्ष के दौरान, कम्पनी ने 148.27 लाख लीटर कच्चे दुग्ध का संकलन किया है।वित्तीय वर्ष के समापन पर कंपनी के 10,604 सदस्य थे। संदस्यों ने कंपनी कार्य में अपना भरोसा जताया है। यह स्वस्थ संकेतक भविष्य में कपनी के विकास की कहानी का शुभारम्भ है जो आने वाले वर्षों में अधिकाधिक सदस्यों के आपसी सहयोग से और उंचाई पर जायेगा।

कंपनी ने दुग्ध की नियमित आपूर्ति हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सदस्यों को 27.44/– लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया है। जहाँ तक खरीद मूल्यों का सम्बन्ध है, कम्पनी अपने द्वारा आपूर्ति किए जा रहे दुग्ध के प्रति अपने सदस्यों को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य का भुगतान करती रही है।

कम्पनी लगातार, लॉजिस्टिक्स लागत को कम कर, बेहतर पर्यवेक्षण, गुणवत्ता जाँच और बेहतर लॉजिस्टिक नियंत्रण आदि के माध्यम से कार्यकुशलता में वृद्धि कर अपने सदस्यों से दुग्ध संकलन और उत्पादकता को अधिकतम करने का प्रयास कर रही है।

उत्पादकता वृद्धि सेवाएँ (Productivity Enhancement Services)-

राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम (Ration Balancing Programme)-

कम्पनी के परिचालन क्षेत्र में, उत्पादक पुरानी आहार/चारा प्रथाओं का पालन कर रहे हैं। पशुओं की आवश्यकता के अनुसार बेहतर आहार/भोजन पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए कम्पनी ने राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम को अपनाया है। उक्त कार्यक्रम के तहत दुग्ध उत्पादकों को पशुओं के लिए संतुलित आहार खिलाने की सलाह दी जाती है, जिसे सॉफ्टवेयर की मदद से तैयार किया गया है। दुग्ध उत्पादकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पास उपलब्ध खाद्य सामग्री का उपयोग करके संतुलित आहार दें, जिससे दुग्ध उत्पादन और पशु स्वास्थ्य में वृद्धि होगी तथा दुग्ध उत्पादन लागत में कमी आयेगी। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम के तहत 1,447 नए मवेशियों को शामिल किया गया है।

कृत्रिम गर्भाधान (AI) सेवाएँ (Artificial Insemination (AI) Services)-

कम्पनी ने प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कार्यकत्ताओं के माध्यम से किसानों के लिए गुणवत्ता युक्त कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं को लागू किया है, ताकि दुधारू पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि के साथ – साथ कम लागत में दुग्ध उत्पादन बढ़ सके, जिसके फलस्वरूप दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि की जा सके।

इस कार्यक्रम हेतु कम्पनी द्वारा ग्रामीण स्तर पर युवकों का चयन के पश्चात NDDB के प्रशिक्षण केन्द्रों में कृत्रिम गर्भाधान सेवा का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान की दिनांक से 21 दिनों के बाद पशु की पुनः गर्मी की जाँच, 90 दिनों के बाद गर्भधारण की जाँच एवं ब्याने तक का विवरण ईनाफ सॉफ्टवेयर (INAPH Software) में सुरक्षित रखा जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपने दुग्ध उत्पादकों के लिए लगभग 6,169 AI की है। (प्रथम AI फौलोअप में 48 प्रतिशत की गर्भाधान दर की निरन्तरता)

बाँझपन उपचार शिविर (INFERTILITY TREATMENT CAMPS)-

चूंकि बाँझपन पशुपालन को लाभदायक व्यवसाय बनाने में एक बड़ी बाधा है, इसलिए कम्पनी अपने परिचालन क्षेत्र में बाँझपन उपचार शिविरों का आयोजन कर रही है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी ने 199 बाँझपन उपचार शिविरों में 1979 मवेशियों का परीक्षण किया। जाँचे गए मवेशियों में से 1263 मवेशियों को एनेस्ट्रेस (anestrous) से पीड़ित पाया गया, जिसके लिए उचित उपचार दिया गया है और कुल 487 मवेशी ठीक हो गए हैं।

कैलिफोर्निया मास्टिटिस टेस्ट (California Mastitis Test -CMT):-

मास्टिटिस, एक संभावित घातक स्तन ग्रंथि संक्रमण दुनिया भर में डेयरी मवेशियों में सबसे आम बीमारी है। यह डेयरी उद्योग के लिए सबसे महंगी बीमारी भी है। इसलिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने दुधारू पशुओं के लिए कुल 7014 सीएमटी (कैलिफोर्निया मास्टिटिस टेस्ट) आयोजित करवाए। परीक्षण किए गए कुल मवेशियों में से 108 मवेशी उक्त बीमारी से ग्रसित पाए गए, जिनका इलाज कर ठीक किया गया।

पशु आहार (Cattle Feed)

कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पिछले वर्ष 613 मैट्रिक टन की तुलना में 1,197 मैट्रिक टन पशु आहार का विक्रय किया जो कि 95 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

खनिज मिश्रण (Mineral Mixture)–

कम्पनी ने परिचालन क्षेत्र में उपलब्ध चारे, जलवायु और खिलाने की आदतों को ध्यान में रखते हुए अपने ब्रांड नाम के तहत खनिज मिश्रण विकसित किया है और स्वास्थ्य, दुग्ध उत्पादन और दुधारू पशुओं के प्रजनन में सुधार के लिए उत्पादकों को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उपलब्ध करा रही है। कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पिछले वर्ष 6,857 किलो की तुलना में 8,659 किलो खनिज मिश्रण का विक्रय किया, जो कि 26 प्रतिशत अधिक है।

ज्वार का साईलेज (Sorghum Silage)-

श्रेष्ठ चारा अभ्यासों को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनी अपने सदस्यों को प्रतिस्पर्धात्मक दर पर ज्वार के साईलेज प्रदान कर रही है। सदस्यों इसमें बहुत रूचि दिखा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप कंपनी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 291 बैगों का वितरण किया गया है।

चाफ कटर (Chaff Cutter)

परिचालन क्षेत्र में उत्पादक परम्परागत चारा खिलाने के अभ्यासों का अनुसरण कर रहे हैं क्योंकि उनके पास जो चारा होता है उसे वे छोटे–छोटे टुकडों में काटे बिना ही पशुओं को खिला देते है जिसकी वजह से पशु उस पूरे भूसे को नहीं खा पाते हैं और अधिकांश चारा व्यर्थ चला जाता है। इसलिए कंपनी ने अपने परिचालन क्षेत्र में चाफ कटर का वितरण शुरू किया है और अपने सदस्यों को 45 चाफ कटर का वितरण किया है। कंपनी इसे अपने सदस्यों को नियमित रूप से लागत पर ही उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करती रहेगी।

कैल्सियम (Calcium)

कंपनी ने उत्पादकता संवर्धन सेवाओं के माध्यम से पशुपालन को किसानों के लिए और अधिक लाभदायक व्यवसाय बनाने के हेतु चौथी वार्षिक आम सभा में "आशा चिलेटेड डबल स्ट्रेंथ केल्सियम" शुरू किया है। कैल्सियम शरीर में प्रमुख खनिज है जो हड्डियों और दांतों में 98 प्रतिशत उपस्थित रहता है। कैल्सिमय अधिकतम दुग्ध उत्पादन और विकास दर के लिए भी अतिआवश्यक है। कैल्सियम हड्डी का प्रमुख तत्व है और इसलिए महत्वपूर्ण है परन्तु युवा पशुओं के विकास के लिए इसे नजरंदाज कर दिया जाता है और कैल्सियम उचित मात्रा में नहीं मिलता है तो वृद्धि की दर धीमी हो जाती है। कैल्सियम की कम मात्रा से रिकेट्स, कमजोर ढांचा और हड्डियों के टूटने की भी संभावना रहती है।

गुणवत्ता हेतु पहल (Quality Initiative)

उपयोग किये जा रहे दुग्ध शीतलन केंद्र (एमसीसी) और थोक दुग्ध शीतलक (बीएमसी) कच्चे दुग्ध की गुणवत्ता को जांचने के लिए पूर्ण रूप से आधारभूत जांच सुविधाओं और उपकरणों से सुसज्जित हैं। एफएसएसएआई के संशोधित दिशा–निर्देशों के अनुसार एमसीसी स्तर पर मिलावट की जांच और एंटीबायोटिक जांच की नई प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। कंपनी के परिचालन में गुणवत्ता के उच्च स्तर को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी सभी जुड़े उन सभी पक्षकारों को साफ–सफाई पर जोर देते हुए तकनीकी सहयोग और प्रशिक्षण प्रदान कर रही है जो दुग्ध की गुणवत्ता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए है। ग्रामीण स्तर पर दुग्ध के साफ उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए 100 स्वच्छ दुग्ध उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ग्राम स्तर पर आयोजन किया गया जिसमें 3213 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया।

उत्पादक संस्था निर्माण (Producer Institution Building -PIB)-

पीआईबी बेहतर प्रशासन विधि और सदस्य केंद्रित दृष्टिकोण के जरिए कारोबार को मजबूत करता है। कम्पनी के कारोबार में सदस्यता और सदस्य भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था बेहतर हो सके।

पीआईबी गतिविधियाँ मुख्य रूप से अपनी खुली एवं पारदर्शी शासन विधियों और उनके संरक्षण के अनुपात में इक्विटी के प्रति सदस्य के योगदान के माध्यम से डेयरी क्षेत्र के अन्य प्रतियोगियों से प्रोड्यूसर कम्पनी को अलग करती हैं।

एमपीसी कोर डिजाइन सिद्धांत (MPC's Core Design Principles)-

कोर डिजाइन सिद्धांतों का सख्ती से पालन किया जाता है। व्यावसायिक गतिविधियों को केवल महिला सदस्यों के साथ प्रतिबंधित किया गया है। सक्रिय उपयोगकर्ता सदस्यता की व्यवसाय एवं प्रशासन विधि में भागीदारी को सदस्य शिक्षा और जागरूकता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश सक्रिय सदस्यों ने वर्ष के दौरान मैचिंग शेयर कैपिटल में अंशदान को पूरा किया है।

ग्राम स्तर पर विलेज कॉन्टैक्ट ग्रुप (वीसीजी) नाम के अनौपचारिक समूहों के गठन के माध्यम से सदस्य संचार और शिकायत निवारण के लिए उपयुक्त तंत्र शुरू किया गया जो सदस्यों और कम्पनी के बीच पारस्परिक संचार सुनिश्चित करने के लिए सामयिक आधार पर मिलते हैं, जिससे सदस्यों की शिकायतों का समाधान हो सके। कर्मचारियों की व्यवहार्यता और आत्म–निर्वाह को सुनिश्चित करने के लिए तथा व्यवसायिक परिचालन के कुशलतापूर्वक प्रबन्धन और उच्च श्रेणी की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने के लिए व्यवहार और प्रेरक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम (Training & Capacity Building Programs:)–

सदस्यों को डेयरी से सम्बन्धित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों पर प्रशिक्षण दिया गया, ताकि वे अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझ सकें। वर्ष 2019–20 के दौरान आयोजित प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्न थे –

क्रम सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	आयोजित प्रशिक्षण कार्यकर्मों की संख्या	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या
1.	निदेशक मंडल के लिए वार्षिक उन्मुखीकरण कार्यक्रम	1	8
2.	निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए शैक्षिक भ्रमण	1	6
3.	कर्मचारियों के लिए वार्षिक उन्मुखीकरण कार्यक्रम	9	131
4.	कर्मचारियों के लिए रिफ्रेशर कार्यक्रम	4	30
5.	उत्पादक जागरूकता कार्यक्रम	127	4235
6.	गुणवत्तायुक्त एवं स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम	100	3213
7.	ग्रामीण स्कूली बच्चों का जागरूकता कार्यक्रम	5	367
8.	ग्रामीण युवा जागरूकता कार्यक्रम	3	135
9.	एमआरजी उन्मुखीकरण कार्यक्रम	5	87
10.	कर्मचारियों के लिए वार्षिक उन्मुखीकरण कार्यक्रम	1	10
11.	दुग्ध उत्पादकों के लिए डेयरी प्रबंधन प्रशिक्षण	38	1129
12.	उत्पादकों के लिए किसान कार्यशाला	27	758
13.	नेतृत्व विकास कार्यक्रम	1	25

वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पश्चात महत्वपूर्ण परिवर्तन (Material Changes after Closure of Financial Year)–

रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख तक ऐसे कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धतायें नहीं हैं 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के पश्चात कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हों। नियामक एवं न्यायालय द्वारा ऐसे कोई भी ऐसे महत्वपूर्ण नियम / कानून पारित नहीं किये गये हैं भविष्य में कंपनी के परिचालन को प्रभावित करते हो।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन (Change in Nature of Business)–

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

शेयर कैपिटल और सदस्यता (Share Capital and Membership)–

कंपनी की 31 मार्च, 2020 को 100/– रूपये प्रति समता अंश मूल्य के 1,30,054 अंशों की कुल प्रदत्त अंश पूंजी 130.54 लाख रूपये थी जिसमें 10,604 सदस्य थे। 31 मार्च 2020 के बाद कंपनी 2096 नये सदस्यों का पंजीकरण किया है जिन्हें 49.13 लाख रूपये की अंश पूंजी आवंटित की है इसलिए आज इस रिपोर्ट की दिनांक तक सदस्यों की कुल संख्या 12,700 और अंश पूंजी 179.19 लाख रूपये है।

वोट देने का अधिकार एवं वार्षिक आम सभा में उपस्थिति (Voting Rights and Attendance at AGM)–

वे दुग्ध उत्पादक, जो इस रिपोर्ट की दिनांक को सदस्य थे, वार्षिक आम सभा में भाग ले सकेंगे। वोट का अधिकार हर उस सदस्य को होगा, जिसने वित्तीय वर्ष 2019–20 में कम से कम 200 दिन और 500 लीटर दुग्ध की आपूर्ति की हो।

निदेशक मण्डल (Board of Directors)-

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान श्री बलजिंदर सिंह को 4 जुलाई, 2019 से दो वर्ष की अवधि के लिए कम्पनी का विशेषज्ञ निदेशक पुनर्नियुक्त किया गया है। श्रीमति कन्या एवं श्रीमति लक्ष्मी कुमारी को क्रमशः 13 जून 2019 व 07 जनवरी 2020 से अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है।

कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के संदर्भ में श्रीमती सागर कंवर और श्रीमती सीता कंवर आगामी वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत होंगी। श्री ब्रजेश नारायण सिंह का कार्यकाल 19 जुलाई 2020 को समाप्त हो गया है और श्रीमति रचना देवधर गोयल को दिनांक 24 सितंबर 2020 से कंपनी का विशेषज्ञ निदेशक नियुक्त किया गया है।

बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण (Training of Board Members)-

वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशकों के लिए एक कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिससे वे दुग्ध उत्पादक कंपनी के मूलभूत लेखांकन को समझ सकें, जिसमें उन्होनें आय के विवरण और चिठ्ठे का मूल्यांकन करने के बारे में सीखा। इस कार्यक्रम ने कंपनी के कार्यों के बारे में उनके ज्ञान में वृद्धि की जिससे वे अपने नेतृत्व करने की भूमिका को और अधिक सम्मिलित और सूचित होकर निभा सकें। उन्होंने पंजाब की बानी दुग्ध उत्पादक कंपनी का दौरा भी किया।

निदेशकों के दायित्व सम्बन्धी विवरण (Directors' Responsibility Statement)–

कम्पनी अधिनियम, 1956 ("अधिनियम") की धारा 217 के अनुसार, कम्पनी के निदेशक इसकी पुष्टि करते हैं –

क. वार्षिक लेखे तैयार करते समय कंपनी द्वारा लागू होने वाले लेखांकन मानकों का उचित अनुपालन किया गया है।

ख. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन कर उन्हें निरन्तर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमानों का प्रयोग किया है जो इतने तर्कसंगत और उपयुक्त हैं कि वित्तीय वर्ष के अन्त में कम्पनी के कारोबार की स्थिति तथा इस अवधि के दौरान कम्पनी के लाभ का सही एवं उचित दृश्य प्रस्तुत कर सके।

ग. कम्पनी की सम्पत्तियों की सुरक्षा के साथ छल–कपट/धोखेबाजी को रोकने तथा बचाव हेतु इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों ने सही लेखे तैयार करने तथा उनके रख–रखाव के लिए आवश्यक, पर्याप्त एवं उचित सावधानी रखी है।

घ. निदेशकों ने वार्षिक लेखे प्रगतिशील प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किये हैं।

अंकेक्षक (Auditors)-

मैसर्स कालानी एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकांउटेंट्स, जयपुर, वैधानिक अंकेक्षकों का कार्यकाल आगामी पांचवीं वार्षिक आम सभा को समाप्त हो रहा है तथा उनकी योग्यता की पुष्टि होने के बाद उनकी पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव रखा है। निदेशक मण्डल मैसर्स कालानी एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकांउटेंट्स, जयपुर को वैधानिक अंकेक्षक के रूप में आगामी वार्षिक आम सभा में पुनर्नियुक्ति की अनुशंसा करते हैं।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा अंकेक्षण (Internal Control System and Audit)-

कम्पनी में संपत्तियों की सुरक्षा के लिये तथा सभी प्रकार के व्यवहारों को अधिकृत करने, दर्ज करने तथा सही सूचना देने के लिये सही तथा उचित आंतरिक नियंत्रण पद्धति विद्यमान है। मैसर्स रे एण्ड रे चार्टर्ड एकाउन्टेंटस को स्वतंत्र रूप से कम्पनी का आंतरिक अंकेक्षक नियुक्त किया गया है जोकि स्वतंत्र रूप से कम्पनी की आँतरिक नियंत्रण पद्धति की औचित्यता की समीक्षा करने के साथ—साथ नियमित रूप से कम्पनी के खातों एवं व्यवहारों का अंकेक्षण करते रहते है।

मानव संसाधन (Human Resource) –

कम्पनी से सम्बंधित लोग कम्पनी की संपत्ति हैं और कम्पनी के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके जुनून, प्रतिबद्धता, स्वामित्व की भावना और टीम वर्क ने कम्पनी को विकसित होने में सक्षम बनाया है। कम्पनी हमेशा एक सकारात्मक, सहायक, खुले और उच्च प्रदर्शन कार्य संस्कृति और पर्यावरण की पेशकश करने के लिए प्रयासरत है जहाँ नवाचार को प्रोत्साहित किया जाता है, प्रदर्शन को पहचाना जाता है और कर्मचारियों को अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

कम्पनी के विजन, मिशन और वैल्यूज (VMV) का पालन कम्पनी के दीर्घकालिक विकास को बनाए रखने के लिए संगठन के सभी स्तरों पर अक्षरशः किया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology) –

सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनी के विभिन्न कार्यों को सहायता प्रदान करती हैं और सिस्टम को सुव्यवस्थित और ऑनलाइन बनाने में मदद करती हैं।सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य कार्य परिचालन में दक्षता में सुधार करने, सही सूचना के आधार पर निर्णय लेने और राजस्व बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियाँ प्रदान करना है। हमारी कम्पनी में सूचना प्रौद्योगिकी का हस्तक्षेप, सिस्टम को सुव्यवस्थित और ऑनलाइन बना रहा है।

एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज, नई दिल्ली के तकनीकी सहयोग से समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आईबीपी फैसिलिटेटर्स को सदस्यों के तत्काल पोरिंग डेटा अपडेट रखने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन "टेब एप्प" लॉन्च किया गया।

कर्मचारियों का विवरण (Particulars of Employees)–

रिपोर्ट के अन्तर्गत वर्ष के दौरान, कम्पनी के किसी भी कर्मचारी को कम्पनी अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा के बराबर या उससे अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ।

सुरक्षा और स्वास्थ्य (Safety And Health)–

हमारी कम्पनी अपने कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल प्रदान करती है। कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर हमेशा ध्यान दिया जाता है, विशेषकर उन लोगों पर जो दुग्ध के सीधे संपर्क में रहते हैं। कर्मचारियों को नियमित चिकित्सा जाँच एवं आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

ऊर्जा संरक्षण, शोध एवं विकास, तकनीकी समावेश, विदेशी विनिमय आय तथा निकासी (Energy Conservation, Technology Absorption & Foreign Exchange Earnings and Outgo)

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(1)(E) सपठित नियम 1988 (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटीकरण) के अनुसार विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है।

अ. कम्पनी नियमों के भाग अ तथा ब ऊर्जा संरक्षण तथा तकनीकी समावेश के संबंध में कम्पनी पर लागू नही होते है।

ब. विदेशी विनिमय आय तथा निकासी : आय – शून्य, निकासी – शून्य

निदेशक मंडल की बैठकें (Board Meetings)–

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कम्पनी के निदेशक मण्डल की पाँच (5) बैठकें विधिवत रूप से दिनांक 05.06.2019, 17.07.2019, 17.09.2019, 24.12.2019 और 10.02.2020 को आयोजित की गईं।

ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण (Particulars of Loans, Guarantees & Investments) –

यह विवरण 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में प्रदर्शित है।

सम्बन्धित पक्षकारों के साथ अनुबंध या व्यवस्थाओं का विवरण (Particulars of Contracts or Arrangements with Related Parties)–

सम्बन्धित पक्षकारों के साथ सभी अनुबंध या व्यवहार आर्म्स लैंथ के आधार पर किये गये हैं। अनुबंधों या व्यवहारों का विवरण 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट संख्या 30 पर दिया गया है।

जोखिम प्रबन्धन नीति (Risk Management Policy)-

आंतरिक लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्टों में विभिन्न मुद्दों पर अपना जोखिम आकलन देते हैं और इन रिपोर्टों को बोर्ड के समक्ष रखा जाता है।

जमा (Deposits)–

अधिनियम के प्रावधानों के तहत जमा से सम्बन्धित विवरण के सम्बन्ध में किसी रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कोई जमा नहीं हुए।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (Internal Financial Control)–

कम्पनी अधिनियम के लागू प्रावधान के अनुसार, कम्पनी के पास उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियाँ मौजूद हैं।

आभार (Acknowledgement)–

निदेशक मण्डल वर्ष के दौरान कम्पनी के सदस्यों, व्यावसायिक सहयोगियों और बैंकरों द्वारा दिए गए योगदान एवं नियमित सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। निदेशक मण्डल धानी फाउण्डेशन और एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के द्वारा दिए गए उनके सहयोग और प्रोत्साहन के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशक मण्डल कम्पनी के सभी कर्मचारियों, सभी सम्बन्धितों के सहयोग, कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए उनकी सराहना करते हैं, जिनके बिना कम्पनी की सर्वांगीण प्रगति एवं विकास सम्भव नहीं होता।

वास्ते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

कन्या

दिनांक – 28 अक्टूबर, 2020

अध्यक्षा एवं निदेशक

स्थानः– उदयपुर

डीआईएनः 08480274

स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड,

राय

हमने **आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड ("कंपनी")** के वित्तीय विवरण, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2020 को आर्थिक चिट्ठा (बैलेन्स शीट), समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण शामिल है और संक्षिप्त महत्वपूर्ण लेखाकन नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का अंकेक्षण किया है। (जिन्हें यहाँ वित्तीय विवरण के रूप में सम्बोधित किया गया है।)

हमारी राय में एवं हमें प्राप्त जानकारी तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वर्णित वित्तीय विवरण, "अधिनियम" द्वारा आवश्यक जानकारी उचित तरीके से प्रदान करते है जैसा कि नीचे ''राय के आधार'' पैराग्राफ में संदर्भित किया गया है क्रियाकलापों की स्थिति, इसके लाभों एवं समापन तिथि को कम्पनी का रोकड़ प्रवाह आमतौर पर भारत में स्वीकार्य लेखा मानकों और अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, सत्य एवं निष्पक्ष सूचनाएं देते है।

राय के आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट अंकेक्षण के मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के भाग के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षकों के उत्तरदायित्व में स्पष्ट किया गया है। हम भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट (ICAI) द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कम्पनी से स्वतंत्र है, जो उन नैतिक आवश्यकताओं के साथ है, जो अधिनियम और नियमों के अधीन बनाये गये प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के लिए प्रासंगिक है। हमने इन आवश्यकताओं और भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट (ICAI) की आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य, वित्तीय विवरणों पर हमारी अंकेक्षण की राय प्रकट करने के लिए आधार के रूप में पर्याप्त एवं उचित हैं।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 465 (अधिसूचना संख्या 30–01–2019 के तहत अधिसूचित धारा 2013) के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार फाइल संख्या 1/1/2019–सीएलआई दिनांक 30–01–2019 को बताया है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के प्रावधान किसी उत्पादक कम्पनी पर इस तरह से लागू होंगे जैसे कि प्रोड्यूसर कम्पनियों के लिए विशेष अधिनियम, 1956 को निरस्त नहीं किया गया है। उपर्युक्त को छोड़कर, उत्पादक कम्पनियों के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं हैं। इस प्रकार कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान प्रोड्यूसर कम्पनी पर इस तरह से लागू होते हैं जैसे कि कम्पनी अधिनियम, 1956 को निरस्त नहीं किया गया है। तदनुसार, एक अंकेक्षण कराया गया है और कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के तहत निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट तैयार की गई है, विशेष रूप से धारा 581ZG, और अंकेक्षण पर मानकों की मौजूदा आवश्यकता का पालन करते हुए इस प्रकार की गई है जैसे कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों को निरस्त नहीं किया गया है। इस रिपोर्ट में, कम्पनी अधिनियम, 1956 को ''अधिनियम'' और कम्पनी अधिनियम, 2013 को नया अधिनियम कहा गया है, दोनों को एक साथ अधिनियम के रूप में सम्बोधित किया गया है।

मामले का प्रभाव

हम निम्न मामले में वित्तीय विवरणों पर नोट्स की ओर आपका ध्यान आकृष्ठ करना चाहते हैं:

नोट संख्या 9(i) जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित राशि रू. 1,95,39,500 के कर का प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80पीए के अनुसार कटौती के लाभ को देखते हुए किया गया है, कि संचालित व्यावसायिक गतिविधियां विशेषज्ञ अभिमत के आधार पर ऐसी कटौती "योग्य व्यवासाय" की श्रेणी में आती है।

अन्य मामले

कोविड–19 महामारी के विस्फोट के कारण अंकेक्षण प्रक्रिया में किये गये जरूरी बदलाव

कोविड–19 महामारी के फैलने के कारण तथा समय–समय पर देशभर में मार्च 2020 के अंतिम पखवाडे से केंद्र / राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों द्वारा लगाये गये लॉकडाउन / यात्रा प्रतिबंधों के कारण अंकेक्षण की कार्यवाही कंपनी के कार्यालय / बीएमसी / एमपीपी में जाकर नही हो सकी। इस कोविड–19 के कारण उत्पन्न यह अप्रतिम परिस्थिति ने अंकेक्षण प्रक्रिया में बदलाव आवश्यक कर दिया है, जिससे कि दूर बैठकर ऑनलाईन तरीके से डिजीटल माध्यम से दस्तावेज प्राप्त कर अंकेक्षण की कार्वाही संपन्न की जा सके।

इस प्रकार हमने अपनी अंकेक्षण प्रक्रिया में निम्न प्रकार बदलाव किये:

क. कंपनी ने हमें आवश्यक लेखा पुस्तकें, रिकॉर्ड, दस्तावेजों की स्केन्ड कॉपियां आदि डिजीटल माध्यमों जैसे ई–मेल, टेली ईआरपी–9 लेखांकन सॉफ्टवेयर तक पहुंच आदि प्रदान / साझा की। इस सीमा तक अंकेक्षण हेतु डिजीटल माध्यमों से प्रदान किये गये उपलब्ध लेखा पुस्तकों, रिकॉर्ड, दस्तावेजों की स्केन्ड कॉपियों के आधार पर चालू अवधि के बारे प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु अंकेक्षण की प्रक्रिया पूर्ण की गई।

ख. हमने पूछताछ की एवं हमारे अंकेक्षण अवलोकन पर प्रस्तावों सहित आवश्यक अंकेक्षण साक्ष्य डिजीटल माध्यम से एकत्रित किये तथा संबंधित अधिकारियों से आमने–सामने के बजाय फोन, ई–मेल और इसी प्रकार के अन्य संचार माध्यमों के जरिये संवाद एवं चर्चा की।

ग. हमने अपनी अंकेक्षण प्रक्रिया भारतीय चार्टर्ड एकांटेंट्स संस्थान द्वारा कोविड–19 के कारण प्रभावित अंकेक्षण अवधारणाओं के बारे में जारी सलाह एवं महत्वपूर्ण विचारों पर निर्भर रहते हुए पूरी की है।

इस मामले में हमारी राय भिन्न नहीं है।

वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त सूचना तथा उस पर अंकेक्षकों की रिपोर्ट –

कम्पनी का निदेशक मण्डल अन्य सूचनाओं के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में निदेशकों की रिपोर्ट सम्मिलित है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारी अंकेक्षकों की रिपोर्ट सम्मिलित नही है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य सूचनाओं को सम्मिलित नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नही करते है।

वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचनाओं को पढना है तथा ऐसा करने में, इस पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचनाएं वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या अंकेक्षण के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से मिथ्याकथन प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए विश्लेषण के आधार पर, यह निष्कर्ष निकलता है कि इस अन्य सूचना में भौतिक रूप से मिथ्याकथन है तो इस तथ्य की जानकारी देना आवश्यक है और यदि आवश्यक हो तो उचित कार्यवाही भी की जावे।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबन्धन का उत्तरदायित्व –

नए अधिनियम, (अधिनियम) की धारा 134(5) (अधिनियम की धारा 215, 216 व 217 के अनुसार) में वर्णित विषयों एवं अधिनियम की धारा 133 (अधिनियम की धारा 211(3C) के अनुसार) में वर्णित कम्पनियों के (लेखा मानकों) नियम, 2006 के साथ पढ़े जाने के सन्दर्भ में तथा आमतौर पर भारत में लागू लेखांकन मानकों के अनुसार कम्पनी का निदेशक मण्डल वे सभी वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जो कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादकता (Performance) तथा कम्पनी के रोकड़ प्रवाह की सही एवं उचित जानकारी प्रदान करते हों। इसमें कम्पनी की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमित्ताओं का पता लगाने एवं उन्हें रोकने के लिये अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रख–रखाव, उचित लेखा नीतियों का चयन एवं उपयोग, विवेकपूर्ण एवं उचित अनुमान लगाना एवं निर्णय लेना, से संबंधित दायित्व सम्मिलित हैं जो वित्तीय विवरण तैयार करने तथा उनका प्रस्तुतीकरण करने हेतु कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार कर उसे लागू करने तथा बनाये रखना है जिससे कम्पनी के वित्तीय लेखे कम्पनी की सही एवं उचित जानकारी प्रदान करें तथा जो धोखेबाजी या त्रुटिपूर्ण तथ्यात्मक गलत कथनों से मुक्त हों।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन कम्पनी को जारी रखने के लिए क्षमता का आंकलन, प्रकटीकरण, जैसा कि लागू होता है, जारी रखने के लिए संबंधित विषयों के लिए उत्तरदायी है और जारी रखने के लेखांकन के आधार का उपयोग करें, जब तक प्रबंधन कम्पनी एवं परिचालन को बंद करने का निर्णय नही ले या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नही हों।

निदेशक मंडल कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रकिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के लिए अंकेक्षकों का उत्तरदायित्व –

हमारा उद्देश्य वित्तीय विवरणों के बारें में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से मुक्त है और एक अंकेक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिसमें हमारी राय सम्मिलित है जो उचित स्थिति का प्रस्तुतीकरण है, लेकिन यहां यह दावा नहीं है कि SAs के अनुसार किया गया अंकेक्षण हमेशा मौजूद होने पर किसी तथ्य के गलत एवं गलतियां जो धोखाधड़ी, त्रुटि से उत्पन्न होती है, जो व्यक्तिगत अथवा सामूहिक हो सकती है, का पता लगाएगा। इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये गये उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित अपेक्षा की जा सकती है।

SAs के अनुसार अंकेक्षण के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते है तथा सम्पूर्ण अंकेक्षण के दौरान इस पेशेवर रूप को बनाए रखते है। हम भी –

- वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण मिथ्याकथन के जोखिम की पहचान तथा आंकलन करना, चाहे वे धोखेधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी अंकेक्षण प्रक्रिया की रचना एवं निष्पादित करना तथा अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करना जो कि हमारी राय के लिए आधार प्रदान कराने हेतु पर्याप्त व उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण मिथ्याकथन का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर गलती, मिथ्याकथन या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन भी सम्मिलित हो सकता है।
- अंकेक्षण प्रक्रियाओं की रचना करने हेतु, अंकेक्षण के लिए उचित, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, जो कि परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त है परन्तु इस बात पर राय व्यक्त करने के लिए नहीं कि क्या कम्पनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है जो इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता को प्रदर्शित करती है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखाकन अनुमानों की तर्क संगति तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।

- लेखांकन के जारी रखने के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और अंकेक्षण के लिये प्राप्त साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जोकि कम्पनी को जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि महत्वूपर्ण अनिश्चितता मौजूद है तो हमें हमारी अंकेक्षकों की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त है तो अपनी राय संशोधित करना। हमारा निष्कर्ष हमारे अंकेक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्यों पर आधारित है। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं अथवा परिस्थितियां कम्पनी को जारी रखने में रूकावट उत्पन्न कर सकता है।

- वित्तीय विवरणों का सम्पूर्ण प्रदर्शन, संरचना और सारांश, प्रकटीकरण सहित का मूल्यांकन करना और वित्तीय विवरण मुख्य लेनदेन तथा घटनाओं को इस प्रकार दर्शाते है जो निष्पक्ष प्रस्तुति देते है।

- वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए कम्पनी की वित्तीय जानकारी के बारें में पर्याप्त अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करते है। हम ऐसी संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों के वित्तीय विवरणों की अंकेक्षण की देख–रेख, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी है, जिन वित्तीय विवरणों के लिए हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक है।

महत्वूपर्ण वितीय विवरणों में व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से गलत बयानों का परिणाम है जिससे यह संभावना होती है कि वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता की यथोचित जानकारी से आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते है। हम मात्रात्मक महत्वता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं (1) हमारे अंकेक्षण के दौरान योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों के मूल्यांकन मे मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते है (2) एकल वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचान किए गए मिथ्याकथन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए।

हम अभिशासन से संबंधित, अन्य मामलों में, अंकेक्षण की योजना, समय एवं महत्वपूर्ण अंकेक्षण निष्कर्ष, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमी जो अंकेक्षण के दौरान पहचान की गई है, को सम्मिलित करते है।

हम अभिशासन के साथ उन लोगों के बयान भी प्रस्तुत करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है और उन सभी मामलों एवं संबंधों का संवाद किया है जोकि हमारी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उचित माना जा सकता है और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय भी बताते है।

अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट –

1. कम्पनी एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है जो ''अधिनियम'' के भाग IXA के तहत एक प्रोड्यूसर कम्पनी के रूप में पंजीकृत है। जैसा कि कम्पनियों (अंकेक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') द्वारा ''नए अधिनियम'' की धारा 143 की उप–धारा (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था, और कम्पनी की पुस्तकों और अभिलेखों की ऐसी जाँचों के आधार पर जैसा कि हमने उचित माना और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, "अनुलग्नकः अ" में दिया है। आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान, लागू सीमा तक, जो "नए अधिनियम" की धारा 465 के तहत निहित प्रावधानों पर विचार करते हुए इस प्रकार तैयार किया गया है, ताकि ''अधिनियम'' के प्रावधानों को निरस्त नहीं किया जाये।

2. जैसा कि ''नए अधिनियम'' की धारा 143 (3) (''अधिनियम'' की धारा 227 (3) के अनुरूप है, हम रिपोर्ट करते हैं कि –

क. हमने वे सभी सूचनायें एवं स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किये हैं जो हमारी जानकारी में अंकेक्षण के उद्देश्य से आवश्यक थे।

ख. हमारी राय में कम्पनी ने वैधानिक रूप से आवश्यक सभी लेखे उचित तरीके से बना रखें है जोकि हमारे द्वारा लेखा पुस्तकों के किये गये परीक्षण से प्रकट होता है।

ग. इस रिपोर्ट में वर्णित कम्पनी का चिट्ठा, लाभ–हानि खाता तथा रोकड़ प्रवाह विवरण कम्पनी की लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

घ. हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण ''नए अधिनियम'' की धारा 133 (''अधिनियम'' की धारा 211 (3C) के अनुसार), कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 संशोधन के रूप में, के साथ पढ़ा जाता है, के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करता है ।

च. 31 मार्च, 2020 को कम्पनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रस्तुतीकरण तथा निदेशक मंडल के 31 मार्च, 2020 को रिकॉर्ड के अनुसार कोई भी निदेशक ''नए अधिनियम'' की धारा 164(2) (अधिनियम की धारा 274 (1) (जी) के अनुरूप) के अनुसार निदेशक नियुक्त होने के लिए अयोग्य नही है।

छ. एमसीए अधिसूचना संख्या F No. 1/11/2014-CL-V दिनांक 13–06–2017 के संदर्भ में, कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

ज. अधिनियम की धारा 197(16) जैसा कि संशोधित किया गया है, के अनुसार अंकेक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने हेतू अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमें प्राप्त जानकारी और दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी एक प्राईवेट कम्पनी है इसलिए धारा 197 जोकि प्रबंधक पारिश्रमिक से संबंधित है, लागू नही होती है।

झ. कम्पनीज़ (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार अंकेक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य विषय के सन्दर्भ में हमें प्रदान की गई सूचनाएं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार –

1. कम्पनी का कोई भी मुकद्मा विचाराधीन नहीं है जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा।
2. कम्पनी के पास गौण अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके कारण निकट भविष्य में किसी गंभीर क्षति की आशंका थी।
3. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।

3. जैसा कि ''अधिनियम'' के भाग IXA की धारा 581ZG द्वारा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि–

क. वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से देय ऋणों की राशि नोट नंबर 14 में वित्तीय विवरणों के रूप में बताई जाती है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार किसी भी कर्ज की वसूली को संदिग्ध नहीं माना गया है।

ख. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा जांच की गई खातों की पुस्तकों के अनुसार, न तो कम्पनी के पास वर्ष के अंत में नकदी थी और न ही कम्पनी प्रतिभूतियों में कोई निवेश रखती है।

ग. 31 मार्च, 2020 को परिसम्पत्तियों और देनदारियों का ब्यौरा 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुई अवधि के लिए कम्पनी के वित्तीय विवरणों के अनुसार है।

घ. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने ऐसा कोई लेन–देन निष्पादित नहीं किया है जो अधिनियम के भाग IXA के प्रावधानों के विपरीत प्रतीत होता है।

च. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने अपने निदेशकों को कोई ऋण प्रदान नहीं किया है।

छ. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने इस अवधि के दौरान कोई दान या सदस्यता नहीं दी है।

वास्ते कालानी एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या 000722C

स्थान – जयपुर

तिथि – 10 सितंबर, 2020

DIN: 20416293AAAABE7318

(कमलेश कुमार खंडेलवाल)

पार्टनर

सदस्यता संख्या 416293

स्वतन्त्र अंकेक्षकों के प्रतिवदेन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक–अ

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अंकेक्षण रिपोर्ट तथा अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं के अन्तर्गत पैराग्राफ – 1 के तहत संदर्भित।

i. कम्पनी की सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों के सम्बन्ध में –

क. कम्पनी ने सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं।

ख. जैसा कि हमें समझाया गया है, वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा चरणबद्ध आवधिक तरीके से सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया गया है, जो हमारी राय में उचित है, जो कम्पनी के आकार और उसकी परिसम्पत्तियों की प्रकृति के संबंध में है। ऐसे भौतिक सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नजर नहीं आईं।

ग. हमारे सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कोई अचल सम्पत्ति कम्पनी द्वारा आयोजित नहीं की जाती है।

ii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी के प्रबंधन ने नियमित अंतराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया है। ऐसे भौतिक सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नजर नहीं आईं।

iii. कम्पनी ने नए अधिनियम की धारा 189 के तहत रखे गए रजिस्टर में शामिल पार्टी को कोई असुरक्षित ऋण प्रदान नहीं किया है। इसलिए, उक्त भाग के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

iv. कम्पनी ने कोई ऋण प्रदान नहीं किया है, कोई निवेश नहीं किया है और ना ही गारंटी प्रदान की है, इसलिए इस भाग के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

v. कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया है, इसलिए इस भाग के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

vi. केन्द्र सरकार ने नए अधिनियम की धारा 148 (1) के तहत लागत अभिलेखों के रखरखाव का निर्धारित नहीं किया है। इसलिए इस भाग के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

vii.

क. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और कम्पनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, भविष्य निधि सहित निर्विवाद सांविधिक देयों के संबंध में खातों की पुस्तकों में काटी गई/अर्जित राशि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल और सेवा कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य सांविधिक देय (लागू के रूप में) आम तौर पर कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान नियमित रूप से उपयुक्त प्राधिकरणों के साथ जमा किया गया है और 31 मार्च 2020 को उनके द्वारा भुगतान की गई तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई निर्विवाद सांविधिक बकाया नहीं है।

ख. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, माल और सेवा कर या विवाद के तहत मूल्य वर्धित कर का कोई बकाया नहीं है ।

viii. हमें दिए गए खातों की पुस्तकों और सूचना और स्पष्टीकरण की जांच के आधार पर, कम्पनी ने बैंकों को ऋण या उधार चुकाने में चूक नहीं की है । कम्पनी ने सरकार या वित्तीय संस्थानों से कोई ऋण नहीं लिया है और उसने कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।

ix. कम्पनी ने टर्म लोन के माध्यम से ऋण साधन या धन सहित आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से धन नहीं जुटाया है, इसलिए ऑर्डर के इस भाग तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

x. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और कम्पनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी द्वारा कोई महत्वूपर्ण धोखाधड़ी या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कम्पनी पर किसी भी धोखाधड़ी को वर्ष के दौरान देखा या रिपोर्ट नहीं किया गया है।

xi. नए अधिनियम की अनुसूची पंचम के साथ पढ़ी गई धारा 197 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं, जो एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी है। इसलिए इस भाग के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xii. कम्पनी निधि कम्पनी नहीं है, इसलिए आदेश के इस भाग के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xiii. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी परीक्षा के आधार पर, कम्पनी ने संबंधित पक्षों के साथ जहां भी लागू हो, नए अधिनियम की धारा 177 और 188 के प्रावधानों का पालन किया है । संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन के विवरण को लागू लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों में बताया गया है।

xiv. कम्पनी अधिनियम के भाग IXA के तहत एक प्रोड्यूसर कम्पनी के रूप में पंजीकृत है और इसलिए आदेश के भाग (xiv) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xv. कम्पनी ने ''नए अधिनियम'' की धारा 192 के प्रावधानों के तहत निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है।

xvi. कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–IA के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

वास्ते कालानी एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या 000722C

स्थान – जयपुर

तिथि – 10 सितंबर, 2020

UDIN: 20416293AAAABE7318

(कमलेश कुमार खंडेलवाल)

पार्टनर

सदस्यता संख्या 416293

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
उदयपुर
कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U01122RJ2016PTC049656

चिट्ठा | राशि रूपयों में

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
I.	**समता एवं दायित्व**			
1	**अंशधारकों का कोष**			
	(अ) अंश पूंजी	1	13,005,400	7,737,700
	(ब) संचित एवं अधिशेष	2	20,439,362	4,728,669
2	**आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि**		4,423,666	2,601,500
3	**आस्थगित अनुदान**	3	27,411,491	32,646,797
4	**गैर–चालू दायित्व**			
	(अ) अन्य दीर्घकालीन दायित्व	4	5,160,154	4,670,154
	(ब) दीर्घकालीन प्रावधान	5	1,086,151	510,812
	चालू दायित्व			
5	(अ) अल्पकालीन ऋण	6	107,484,555	-
	(ब) व्यापारिक देनदारियां	7		
	(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		-	-
	(ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		28,834,722	18,450,473
	(स) अन्य चालू दायित्व	8	8,314,754	8,279,162
	(द) अल्पकालीन प्रावधान	9	3,140,970	285,771
	योग		**219,301,226**	**79,911,037**
II.	**संपत्तियाँ**			
1	**गैर–चालू संपत्तियाँ**			
	(अ) संपत्ति, प्लांट और उपकरण	10		
	(i) मूर्त संपत्तियाँ		26,834,532	30,816,037
	(ii) अमूर्त संपत्तियाँ		27,547	17,280
	(iii) प्रगति अधीन पूंजी		1,813,480	1,813,480
	(ब) आस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)	11	347,856	154,722
	(स) दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम	12	49,799	38,799
2	**चालू संपत्तियाँ**			
	(अ) स्टॉक	13	5,748,561	2,246,502
	(ब) व्यापारिक लेनदारियाँ	14	139,898,120	23,605,130
	(स) रोकड एवं रोकड तूल्य	15	44,058,800	20,954,157
	(द) अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम	16	-	-
	(य) अन्य चालू संपत्तियाँ	17	522,531	264,930
	योग		**219,301,226**	**79,911,037**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और वित्तीय विवरणों के नोट्स	अ–स		

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

हमारी उक्त तिथी की संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते कालानी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउटेंट्स
फर्म पंजीयन सं.: 000722सी

(कन्या)
चैयरमेन
DIN: 08480274

(धर्मेंद्र कुमार)
मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
DIN: 08122632

(सागर कंवर)
निदेशक
DIN: 07544839

कमलेश कुमार खंडेलवाल
पार्टनर
सदस्यता सं. 416293

(यज्ञ देव शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 45053

(मणिक बाहेती)
वित्त प्रमुख
पेन: BEHPB1032F

स्थानः उदयपुर
दिनांकः 08 सितंबर, 2020

स्थानः जयपुर
दिनांकः 10 सितंबर, 2020

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
उदयपुर
कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U01122RJ2016PTC049656

लाभ–हानि विवरण | **राशि रूपयों में**

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
I.	परिचालन से राजस्व	18	732,323,009	393,893,597
II.	अन्य राजस्व	19	1,246,033	767,230
III.	**कुल राजस्व**		**733,569,042**	**394,660,827**
IV.	**व्ययः**			
	व्यवसाय में लगे स्टॉक की खरीद	20	635,838,030	350,101,736
	परिचालन व्यय	21	35,879,514	23,325,974
	व्यवसाय में लगे स्टॉक में परिवर्तन	22	(3,502,059)	(1,044,006)
	कर्मचारियों के लाभों संबंधित व्यय	23	10,855,097	6,300,861
	मूल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय	10	179,727	-
	वित्तीय लागतें	24	605,247	30,118
	अन्य व्यय	25	33,606,792	11,608,879
	कुल व्यय		**713,462,348**	**390,323,562**
V.	**गत अवधि की मदों एवं कर पूर्व लाभ**		20,106,694	4,337,265
	गत अवधि की मदें	26	(379,089)	342,670
	कर पूर्व लाभ		**19,727,605**	**4,679,935**
VI.	कर व्ययः			
	(1) चालू कर		3,461,000	941,000
	(2) गत वर्ष का कर		2,789	20,784
	(3) आस्थगित कर व्यय/(आय)		(193,133)	(76,659)
	शुद्ध कर व्यय अवधि		3,270,656	885,125
VII.	**वर्ष का लाभ/(हानि)**		**16,456,949**	**3,794,810**
VIII.	**प्रति समता अंश आय**	27		
	समता अंश 100 रूपये प्रति अंश			
	(1) मूल		159.26	74.12
	(2) डायल्यूटेड		149.61	71.10
	प्रति अंश आय की गणना में प्रयोग किये गये अंशों की संख्या			
	(1) मूल		103,335	51,200
	(2) डायल्यूटेड		109,998	53,373
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं वित्तीय विवरणों के नोट्स	अ–स		

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

हमारी उक्त तिथी की संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते कालानी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउटेंट्स
फर्म पंजीयन सं.: 000722सी

(कन्या)
चैयरमेन
DIN: 08480274

(धर्मेंद्र कुमार)
मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
DIN: 08122632

(सागर कंवर)
निदेशक
DIN: 07544839

कमलेश कुमार खंडेलवाल
पार्टनर
सदस्यता सं. 416293

(यज्ञ देव शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 45053

(मणिक बाहेती)
वित्त प्रमुख
पेन: BEHPB1032F

स्थानः उदयपुर
दिनांकः 08 सितंबर, 2020

स्थानः जयपुर
दिनांकः 10 सितंबर, 2020

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
उदयपुर
कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U01122RJ2016PTC049656

रोकड़ प्रवाह विवरण (राशि रूपयों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
	विवरण	राशि	विवरण	राशि
अ) प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
लाभ–हानि विवरण के अनुसार कर से पूर्व शुद्ध लाभ		**19,727,605**		**4,679,935**
मूल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय	179,727		-	
वित्त लागत	605,247		-	-
स्थायी संपत्तियों के विक्रय से लाभ	-		-	
स्थायी संपत्तियों के विक्रय से हानि	-		-	
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	593,064		328,588	
प्राप्त ब्याज	(971,502)		(530,411)	
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व व्यावसायिक लाभ	**406,536**		**(201,823)**	
समायोजन के लिए:				
अन्य दीर्घकालीन दायित्वों में वृद्धि / (कमी)	490,000		2,420,154	
व्यावसायिक देयताओं में वृद्धि / (कमी)	10,384,250		6,395,182	
अन्य चालू दायित्वों में वृद्धि / (कमी)	35,593		(9,885,610)	
व्यावसायिक प्राप्यों में वृद्धि / (कमी)	(116,292,990)		(4,654,971)	
स्टॉक में वृद्धि / (कमी)	(3,502,059)		(1,044,006)	
अन्य चालू संपत्तियों में वृद्धि / (कमी)	(257,601)		90,079	
ऋणों एवं अग्रिमों में वृद्धि / (कमी)	(11,000)		(5,100)	
(प्रयुक्त) परिचालन गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह	(108,747,272)		(6,886,094)	
शुद्ध आय कर भुगतान / (रिफंड)	626,315		843,559	
प्रयुक्त / परिचालन गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह (अ)		**(109,373,587)**		**(7,729,653)**
ब) विनियोगात्मक गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
बैंक शेष में कमी / (वृद्धि), रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य नहीं माना गया	(657,629)		(4,787,924)	
पीपीई की खरीद (शुद्ध प्राप्त अनुदान)	(1,443,795)		-	
पीपीई की बिक्री पर शुद्ध लाभ / (हानि) (शुद्ध)	-		-	
ब्याज की आय	971,502		530,411	
विनियोगात्मक गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह (ब)		**(1,129,921)**		**(4,257,513)**
स) वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
अल्पकालीन ऋण	107,484,555		-	
अंश आवेदन राशि से प्राप्तियां	2,666,200		2,867,300	
अंश आवेदन राशि बकाया आवंटन	4,423,666		2,601,500	
प्रदत्त लाभांश (डीडीटी सहित)	(746,257)		(456,951)	
वित्तीय लागत	(605,247)		-	-
प्रयुक्त वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह (स)		**113,222,917**		**5,011,849**
रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य में शुद्ध वृद्धि / कमी		22,447,014		(2,295,383)
रोकड एवं रोकड तुल्य का आरम्भिक शेष		2,684,236		4,979,618
रोकड एवं रोकड तुल्य का अंतिम शेष		**25,131,250**		**2,684,236**

रोकड प्रवाह विवरण के नोट्स

1. रोकड प्रवाह विवरण बनाते समय लेखा मानक 3 के खण्ड 18 में उल्लेखित अप्रत्यक्ष विधि को अपनाते हुए रोकड प्रवाह विवरण तैयार किया गया है।
2. रोकड एवं रोकड तुल्य में सम्मिलित है

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
अ) हस्तगत रोकड	-	-
ब) बैंक शेष		
–चालू खाते–	23,986,479	2,499,991
–बचत खाता	144,771	184,245
–जमा खाते	1,000,000	-
योग	**25,131,250**	**2,684,236**

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

हमारी उक्त तिथी की संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते कालानी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउटेंट्स
फर्म पंजीयन सं.: 000722सी
कमलेश कुमार खंडेलवाल
पार्टनर
सदस्यता सं. 416293

(कन्या)
चैयरमेन
DIN: 08480274

(धर्मेंद्र कुमार)
मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
DIN: 08122632

(सागर कंवर)
निदेशक
DIN: 07544839

(यज्ञ देव शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 45053

(मणिक बाहेती)
वित्त प्रमुख
पेन: BEHPB1032F

स्थानः उदयपुर
दिनांकः 08 सितंबर, 2020

स्थानः जयपुर
दिनांकः 10 सितंबर, 2020

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

उदयपुर

कॉर्पोरेट पहचान संख्या: U01122RJ2016PTC049656

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, वित्तीय विवरणों के नोट्स

अ. कम्पनी के बारे में

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) का गठन 21 मार्च, 2016 को कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IX-A के तहत एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी (कॉर्पोरेट पहचान संख्या U01122RJ2016PTC049656) के रूप में प्राथमिक तौर पर इसके सदस्यों से दुग्ध की पूलिंग, खरीद, प्रसंस्करण और दुग्ध उत्पाद का व्यवसाय करने एवं सदस्यों के हित में दुग्ध के उत्पादन को बढानें हेतु प्रजनन, पशु–आहार, पशु चिकित्सा एवं इससे जुडी उनके लाभ में वृद्धि करने वाली अन्य तकनीकी और प्रबन्धकीय सेवायें प्रदान करने के प्रमुख उद्देश्य से किया गया था।

कम्पनी राजस्थान राज्य के पाली और सिरोही जिले के गाँवों में दुग्ध संकलन केन्द्रों के माध्यम से सदस्याओं से सीधे दूध खरीद कर डेयरियों को बेचती है। कम्पनी पशु–आहार का भी व्यवसाय करती है।

ब. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां :

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां निम्न प्रकार है:

1. लेखांकन का आधार:

कम्पनी के लेखे कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 और कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम 2013)/कम्पनी अधिनियम 1956 (अधिनियम 1956) के संबंधित लागू होने वाले प्रावधान में दिये गये लेखा मानकों तथा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों का पालन करते हुए बनाये गये है। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 465 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार (अधिसूचित धारा 30.01.2019 से प्रभावी जरिये अधिसूचना संख्या फाईल सं. 1/1/2019–सीएल–I दिनांक 30–01–2019) कम्पनी अधिनियम 1956 के भाग IX-A के प्रावधान उत्पादक कम्पनी पर जरूरी परिवर्तनों सहित उसी प्रकार लागू होंगे जब तक कि कम्पनी अधिनियम 1956 को निरस्त कर प्रोड्यूसर कपंनी के लिए कोई अन्य विशेष अधिनियम लागू नही कर दिया जाता। कम्पनी अधिनियम 2013 में प्रोड्यूसर कंपनियों के संदर्भ में कोई विशेष प्रावधान नही हैं। कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधान प्रोड्यूसर कम्पनी पर उसी प्रकार लागू हैं जैसे कि कम्पनी अधिनियम 1956 को निरस्त नही किया गया है।

कम्पनी के वित्तीय विवरण लेखांकन के उपार्जित आधार पर ऐतिहासिक लागतों के अनुसार बनाये गये हैं। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियों का सदैव पालन किया गया है।

2. अनुमानों का उपयोग :

भारतीय जीएएपी के अनुसार सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधकों को संपत्तियों एवं दायित्वों (आकस्मिक दायित्वों सहित) तथा वर्ष के दौरान बताई गई आय व व्ययों की राशि के लिए लिए अनुमान एवं परिकल्पनाओं का प्रयोग करना होता है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयोग किये विवेकपूर्ण एवं उचित हैं। इन अनुमानों के भावी परिणाम भिन्न हो सकते है और इस प्रकार वास्तविक परिणामों एवं अनुमानों के अंतर को उसी अवधि में चिन्हित किया जाता है जिसमें वे ज्ञात/कार्यान्वित होते हैं।

3. स्टॉक का मूल्यांकन:

स्टॉक का मूल्यांकन अप्रचलित एवं अन्य क्षतियों (जहां भी आवश्यक लगे) को छोडकर न्यूनतम एवं शुद्ध वसूलने योग्य मूल्य पर किया जाता है। लागत का निर्धारण पहले आये–पहले जाये (FIFO Method) पद्धति के आधार पर

किया जाता है। लागत में स्टॉक को उनके वर्तमान स्थान एवं दशा में लाने के लिए होने वाले सभी खर्चों को शामिल कर किया जाता है। छोटे उपकरण, रसायन तथा उपभोग्य सामग्री को खरीदने पर उन्हें उपभोग के अंतर्गत माना जाता है।

4. रोकड प्रवाह विवरणः

रोकड प्रवाह विवरण, लेखा मानक (AS-3) में रोकड प्रवाह के बारे में उल्लेखित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है जिससे विशेष मदों से पूर्व लाभ / (हानि) एवं कर का समायोजन गैर–नकदी लेनदेनों तथा कोई भी गत अथवा भावी आस्थगित या उपार्जन रोकड प्राप्तियों या भुगतानों के प्रभावों के लिए किया जाता है।

कम्पनी के व्यवसाय, विनियोग और वित्तीय गतिविधियों से रोकड प्रवाह का बंटवारा उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर किया जाता है। रोकड प्रवाह के प्रयोजन से रोकड में हस्तगत रोकड तथा बैंक में मांग जमायें सम्मिलित है। रोकड तुल्य अल्पकालीन शेष (प्राप्ति की तिथि से 3 माह या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ), अत्यधिक तरल विनियोग जिन्हें कभी भी नकदी में परिवर्तित किया जा सकता हैं और जिनके मूल्यों में परिवर्तन की संभावना नगण्य है।

5. आय की पहचानः

बिक्री में से बिक्री वापसी का समायोजन करके तथा व्यापारिक बट्टे माल के स्वामित्व जैसी महत्वपूर्ण जोखिमों एवं पुरस्कार के हस्तांतरण को ग्राहकों को हस्तांतरित किया जाता है जो कि आमतौर पर ग्राहकों द्धारा / माल की सुपुर्दगी एवं स्वीकृति से मेल खाते है।

6. अन्य आयः

जमाओं पर ब्याज की आय और सदस्यों से प्रवेश शुल्क को उपार्जित आधार पर चिन्हित किया गया है।

7. संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों (पीपीई) का लेखांकन

अ) मूर्त एवं अमूर्त संपत्तियां

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों एवं अमूर्त संपत्तियों में से संचित मूल्य ह्रास / परिशोधन तथा स्थायी क्षति अगर कोई हो तो उसे घटा कर पुस्तकों में दर्शाया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों तथा अमूर्त संपत्तियों की लागत में उसके खरीद मूल्य में किसी भी व्यावसायिक बट्टे एवं छूट, अन्य कर (उन करों को छोडकर जो कर अधिकारियों से प्राप्त किये जाने है), आवश्यक प्रयोजन के लिए संपत्ति को कार्यशील स्थिति में लाने हेतु होने वाले अन्य कोई भी प्रत्यक्ष व्यय एवं अन्य कोई भी आकस्मिक व्यय एवं इस संपत्ति की खरीद हेतु लिये गये ऋण पर ब्याज व उस तिथी तक के संयंत्र एवं उपकरण जिस तारीख तक वह संपत्ति प्रायोजित प्रयोग के लिए तैयार हुई है, के समायोजन के पश्चात किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद के बाद उस पर होने वाले व्ययों को केवल तभी पूंजीकृत किया जायेगा जब इस तरह के खर्च से ऐसी संपत्ति के भविष्य के लाभ में निर्धारित मानक निष्पादकता से भी अधिक वृद्धि होती है।

ब) प्रगति अधीन पूंजीगत कार्यः

ऐसी संपत्तियों जिन्हें प्रयोग में नहीं लाया जा सकता उनको लागत पर दर्शाया गया है जिसमें प्रत्यक्ष लागत और उससे संबंधित आकस्मिक व्यय और लागू होने वाला ब्याज शामिल है।

ग) मूल्य ह्रास एवं परिशोधनः

सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों एवं अमूर्त संपत्तियों पर मूल्य ह्रास सीधी रेखा पद्धति से संपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल के अनुसार संपत्ति की प्रकृति, प्रबन्धकों द्वारा अनुमानित सम्पत्ति का उपयोगी जीवनकाल, सम्पत्ति की चालू स्थिति, प्रतिस्थापन का इतिहास, अपेक्षित तकनीकी परिवर्तन, प्रौद्योगिकी आश्वासन एवं रखरखाव सहयोग आदि के आधार पर किया जाता है।

मूल्य–ह्रास लगाने के लिए उपयोगी जीवन निम्न प्रकार हैः–

विवरण	उपयोगी जीवन (वर्षों में)
प्लांट एवं मशीनरी	10
एल एन कंटेनर	5
दूध के कैन	4
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	15
ऑफिस उपकरण	10
कम्प्यूटर्स एवं प्रिंटर्स	3
अमूर्त संपत्तियां	3

मूल्य ह्रास का आंकलन खरीद की तिथी से आनुपातिक आधार पर किया गया है।

8. अनुदान का लेखांकनः

सरकारी अनुदान एवं रियायत को तब मान्यता दी जाती है जब उसका कोई उचित आश्वासन हो कि कम्पनी उसके साथ जुडी हुई शर्तों का पालन करेगी तथा अनुदान/रियायत प्राप्त करेगी। ऐसे सरकारी अनुदान जो मूल्य–ह्रास संबधित स्थायी सम्पत्तियों पर प्रदान किये जाते हैं उसे अस्थगित अनुदान की तरह माना जाता हैं तथा उसे संपत्ति के उपयोग अवधि के आधार पर एक सुनियोजित एवं तर्कसंगत तरीके से लाभ–हानि विवरण में दर्शाया जाता है, ऐसे अनुदान से क्रय की गई सम्पत्तियों पर मूल्य हास को स्थगित अनुदान से समायोजित किया जाता है और मूल्य हास राशि को कम करते हुये लाभ–हानि खाते में दर्शाया जाता है।

आयगत सरकारी अनुदान एवं रियायत को एक ऐसी आवश्यक अवधि के दौरान एक सुनियोजित तरीके से आय के रूप में माना जाता है जिससे ऐसी लागत वसूल हो जाये, जिसे पूरा करना इसका उद्देश्य था तथा संबंधित खर्चो की सूचना देते समय इस आय को खर्चों में से घटा दिया जाता हैं।

9. कर्मचारी लाभः (लेखा मानक–15)

कर्मचारी लाभों में भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ग्रेच्यूटी तथा क्षतिपूर्ति अवकाश शामिल है।

अ. निर्धारित अंशदान योजनायेंः

भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कम्पनी के योगदान को निर्धारित अंशदान योजना माना जाता है। योगदान की राशियों को कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं को ध्यान में रखते हुए लाभ–हानि खातों में दर्शाया जाता है।

ब. निर्धारित लाभ योजनायेंः

गेच्यूटी एवं अवकाश नकदीकरण को निर्धारित लाभ योजना के तहत माना गया है। ग्रेच्यूटी एवं अवकाश नकदीकरण को चिट्ठे की तिथि को किये गये बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लिया जाता है। प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट पद्धति के अनुसार दायित्वों में बढोतरी का बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रतिवेदन की तिथि को लाभ – हानि खाते में दर्शाया जाता है। बीमांकिक लाभों तथा हानियों को लाभ–हानि खाते में दर्शाया जाता है।

स. अल्प–कालीन कर्मचारी लाभः

कर्मचारियों के अल्पकालीन अदत्त लाभों की राशियों को उन कर्मचारियों को उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं की एवज में, उस वर्ष में दर्शाया जाता है जिस वर्ष में उनके द्वारा सेवाएं दी गई है। ऐसे लाभों में कार्य प्रोत्साहन एवं अवकाश की प्रतिपूर्ति को शामिल किया जाता है, जो कि कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवाएं देने की अवधि के समाप्त होने से बारह माह की अवधि में होने की सभांवना है।

द. दीर्घ–कालीन कर्मचारी लाभः

ऐसी प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियां, जो कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा प्रदान करने की अवधि के समापन के 12 माह की अवधि में होने की अपेक्षा नहीं थी को एक निर्धारित लाभ दायित्व के आधार पर वर्तमान मूल्य पर दायित्व का निर्धारण चिट्ठे की तिथि को बीमांकन मूल्य के आधार पर किया जाता है।

10. लीज़ का लेखांकन –

कोई भी ऐसी लीज व्यवस्था जिसमें जोखिम तथा प्रतिफल की घटनायें उस सम्पत्ति के मालिक में निहित होती है तो ऐसी लीज को संचालन लीज के रूप में जाना जाता है। संचालन लीज के अंतर्गत लीज किराये को लाभ–हानि खाते के विवरण के अंतर्गत सीधी रेखा पद्धति के आधार पर दर्शाया जाता है।

11. प्रति शेयर आय –

प्रति शेयर मूल आय का निर्धारण, कर के पश्चात शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान अदत्त रहे समता अंशों की भारित औसत संख्या से भाग देकर लेखांकन मानकों (AS-20) के अनुसार किया जाता है। डायल्यूटेड प्रति अंश आय की गणना, कर के पश्चात के लाभों को भारित औसत विधि से वर्ष के दौरान अदत्त रहे भारित समता अंशो की संख्या (एन्टी डायल्यूटेड समता अंशों की संख्याओं को छोड़कर) से भाग देकर किया जाता है।

12. आय पर करों का लेखांकन –

आयकर में चालू कर तथा स्थगित कर शामिल हैं। चालू कर, कर की वह राशि है जो आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों एवं लागू होने वाले अन्य प्रावधानों के अनुसार निर्धारित वर्ष के लिए कर योग्य आय पर लागू कर दरों से देय है।

स्थगित कर को समय के अन्तराल से जाना जाता है। कर योग्य आय तथा लेखांकन आय में अन्तर के कारण जो एक समयाबधि में अर्जित हुई है जिसको उसके बाद की एक या उससे अधिक अवधि में वापस किया जा सकता है। स्थगित कर की गणना की दर तथा गणना की तिथि को लागू होने वाले कर के नियमों के आधार पर की जाती है। स्थगित कर दायित्वों की गणना सभी विभिन्न समयावधियों के लिये की जाती है। स्थगित कर सम्पत्तियों की पहचान विभिन्न मदों की समय भिन्नता के आधार पर गैर–शोषित–मूल्य ह्रास एवं आगे ले जायी गई हानियों को छोड़कर यह मानते हुऐ भविष्य में प्राप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिससे इनकी वसूली की जा सकती है। इस प्रकार अगर कोई गैर–शोषित–मूल्य ह्रास तथा आगे ले जायी गई हानियाँ बचती है तो पर्याप्त भावी कर योग्य आय संपत्तियों की वसूलियों हेतु उपलब्ध रहेगी। आस्थगित कर संपत्तियों तथा दायित्वों का समायोजन किया जाता है यदि ऐसे मद लागू होने वाले समान कर प्रावधानों के आधार पर है तथा कम्पनी को इस प्रकार के समायोजन को कानूनी तौर पर लागू करने का अधिकार है।

13. परिसंपत्तियों की क्षति –

प्रत्येक आर्थिक चिट्ठे की तिथि को कम्पनी अपनी संपत्ति, प्लांट और उपकरण के मूल्यों की समीक्षा यह निर्धारण करने के लिए करती है कि ऐसा कोई लक्षण तो प्रकट नहीं हो रहा जिससे कम्पनी की संपत्तियों को किसी प्रकार की कोई क्षति/हानि हुई हो। अगर ऐसा कोई लक्षण प्रकट होता है तो उस संपत्ति के वसूल किये जा सकने योग्य मूल्य का निर्धारण उस संपत्ति को हुई क्षति के मूल्यांकन के लिये किया जाता है। किसी भी संपत्ति से वसूल की जा सकने

बाली राशि उस संपत्ति के शुद्ध विक्रय मूल्य तथा प्रयोग किये गये मूल्य से अधिक है। प्रयोग की गई संपत्ति के मूल्य का निर्धारण करने में अनुमानित भावी रोकड़ प्रवाह यह मानते हुए की यह संपत्ति नियमित रहेगी तथा इसके निस्तारण से प्राप्त आय को इसके वर्तमान मूल्य में से एक पूर्व–बट्टा दर जोकि वर्तमान बाजार दर को उस समय पर धन की कीमत तथा उस संपत्ति विशेष से संबद्ध जोखिम के निर्धारण को दर्शाती है, को कम कर लिया जायेगा। संपत्ति की क्षति की वापसी को लाभ–हानि खातें में आय के रूप में माना जाता है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां –

प्रावधान की पहचान उन देयताओं के लिए की जाती है, जिन्हें केवल अनुमान की पर्याप्त डिग्री का उपयोग करके मापा जा सकता है –

क) पूर्वकालिक घटना के परिणामस्वरूप कम्पनी का वर्तमान दायित्व उत्पन्न होता है।

ख) संभावना है कि इस प्रकार के दायित्व को पूरा करने के लिए स्त्रोतों का बर्हिगमन होगा।

ग) दायित्व की राशि का अनुमान लगाया जा सकता है।

घ) किसी प्रावधान को निपटाने के लिए आवश्यक व्यय के संबंध में प्रतिपूर्ति की मान्यता तभी दी जाती है जब यह निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी।

आकस्मिक देयता तभी दर्शाई जाती है जब–

क) एक वर्तमान दायित्व एक अतीत की घटना से उत्पन्न हो रहा है, जब यह संभव नहीं है कि संसाधनों का बहिर्गमन दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक हो जाए।

ख) एक संभावित दायित्व, जब तक कि संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना दूरस्थ न हो, आकस्मिक परिसंपत्तियों को न तो मान्यता दी जाती है और न ही दर्शाई जाती हैं।

15. संचालन चक्र –

कम्पनी के उत्पादों एवं क्रियाओं की प्रकृति तथा संपत्तियों के क्रय एवं उनकी रोकड़ अथवा रोकड़ तुल्य के रूप में बसूली के आधार पर कम्पनी ने अपने संचालन चक्र की अवधि इसकी संपत्तियों तथा दायित्वों के चालू एवं गैर चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से 12 माह निर्धारित की है।

16. सामान्य –

लेखांकन नीतियाँ आम तौर पर स्वीकार की गई हैं लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है और लगातार लागू की गई हैं।

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

उदयपुर

कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U01122RJ2016PTC049656

स. वित्तीय विवरणों के नोट्सः

अंशधारकों का कोषः

नोट संख्या 1ः अंश पूंजी (राशि रूपयों मे)

विवरण	3103.2020 को	31.03.2019 को
अधिकृत अंश पूंजी	-	-
प्रति अंश 100 रूपये के 3,00,000 (गत वर्ष 3,00,000) समता अंश	30,000,000	30,000,000
निर्गमित, सब्सक्राईब एवं चुकता अंश पूंजी		
पूर्ण प्रदत्त 100 रूपये मूल्य के 1,37,054 (पिछले साल 77,377) समता अंश	13,005,400	7,737,700
	13,005,400	**7,737,700**

नोट्सः

(i) **अंशों से संबंधित अधिकार, प्राथमिकतायें एवं प्रतिबंध**

कंपनी के पास 100 रूपये अंकित मूल्य के एक ही श्रेणी के अंश हैं। कंपनी अंतर्नियमों के अनुसार प्रत्येक सदस्य को आवश्यक शर्तें पूर्ण करने पर एक वोट देने का अधिकार है। सदस्य कंपनी अंतर्नियमों के अनुसार सीमित आय (लाभांश) और बोनस के हकदार हैं।

कंपनी के परिसमापन की दशा में, समता अंशधारकों को अधिकार होगा कि वे संपूर्ण अधिमानी राशियों के वितरण के बाद शेष संपत्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(ii) **बकाया समता अंशों की संख्या का मिलानः**

विवरण	**समता अंशों की संख्या**	
	2019.20	2018.19
वर्ष के प्रारम्भ में बकाया अंश	77,377	47,378
(+) वर्ष के दौरान जारी अंश (निरस्त और पुनः जारी किये गये अंशों के समायोजन के बाद)	52,677	29,999
वर्ष के अंत में बकाया अंश	130,054	77,377

(iii) कंपनी, कंपनी अधिनियम 1956 के भाग IX-A के अंतर्गत एक उत्पादक कंपनी के रूप में पंजीकृत है और कंपनी के किसी भी सदस्य के पास 5ः से अधिक अंश पूंजी नही है।

नोट संख्या 2 : संचित एवं अधिशेष **(राशि रूपयों मे)**

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
अ) सामान्य संचय		
प्रारम्भिक शेष	3,982,412	933,860
जोड़ें: वर्ष के दौरान अधिशेष से हस्तांतरण *	15,546,572	3,048,552
अंतिम शेष	**19,528,984**	**3,982,412**
ब) अधिशेष		
प्रारम्भिक शेष	746,257	456,951
(+) कर के बाद लाभ हानि विवरण से हस्तांतरिक शुद्ध लाभ	16,456,949	3,794,810
विनियोजन हेतु उपलब्ध राशि	17,203,207	4,251,760
(-) 31 मार्च 2018 को सदस्यों को अंतिम सीमित लाभ (लाभांश) (8 रूपये प्रति अंश)	619,016	-
(-) 31 मार्च 2019 को सदस्यों को अंतिम सीमित लाभ (लाभांश) (8 रूपये प्रति अंश)	-	379,024
(-) उपरोक्त सीमित लाभ पर कर (लाभांश वितरण कर)	127,241	77,927
(-) सामान्य संचय में हस्तांतरित'	15,546,572	3,048,552
अंतिम शेष	910,378	746,257
योग	**20,439,362**	**4,728,669**

कंपनी अंतर्नियमों के अनुच्छेद 11.10 में वर्णित प्रावधानों सपठित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 581ZI के अनुसार निदेशक मंडल ने रूपये 15,546,572/– को सामान्य संचय में हस्तांतरित करने का प्रस्ताव दिया है।

निदेशकों ने अपनी दिनांक 08.09.2020 की बैठक में 31.03.2020 को समाप्त वर्ष को सीमित लाभ (लाभांश) के संदर्भ में पूर्ण प्रदत्त समता अंशों पर 9,10,378/– रूपये (7 रूपये प्रति अंश) की राशि के भुगतान का प्रस्ताव रखा है। लाभांश अंशधारकों द्वारा वार्षिक आम सभा में अनुमोदन करने पर निर्भर करेगा और इसे लेखा मानक–4 के अनुसार आकस्मिकताओं और चिट्ठे की तारीख के बाद घटने वाली घटनाओं 31.03.2020 को वित्तीय विवरणों में दायित्व के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है। प्रस्तावित लाभांश केवल पूर्ण प्रदत्त समता अंशधारकों को ही देय है।

नोट संख्या 3 : आस्थगित अनुदान (राशि रूपयों मे)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
प्रारम्भिक शेष	32,646,797	18,575,203
(+) अवधि के दौरान उपयोग किया गया पूंजीगत अनुदान (नोट 32 देखें)	507,600	17,404,970
(-) पूंजीगत अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों से से जुडी मूल्य ह्रास (नोट 10 देखें)	4,613,235	3,333,376
(-) अनुमति नहीं दिये गये अनुदान की वापसी (नोट 32 देखें)	1,143,190	-
(+) उपरोक्त अस्वीकृत अनुदान पर लगाये गये मूल्य ह्रास का प्रभाव (नोट 32 देखें)	13,519	-
अंतिम शेष	**27,411,491**	**32,646,797**

गैर चालू दायित्व

नोट संख्या 4 : अन्य दीर्घकालीन दायित्व (राशि रूपयों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
सहायक एवं अन्य से जमा प्रतिभूति	5,160,154	4,670,154
योग	5,160,154	4,670,154

नोट संख्या 5 : दीर्घकालीन प्रावधान (राशि रूपयों में)

विवरण			31.03.2020 को	31.03.2019 का
	2019-20	**2018-19**		
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान				
(i) ग्रेच्युटी	473,737	215,117		
घटायें: अल्पकालीन प्रावधानों में हस्तांतरण	8,710	3,955	465,027	211,162
(नोट संख्या 9 देखें)				
(पप) लीव इनकेशमेंट	646,919	312,475		
घटायें : अल्पकालीन प्रावधानों में हस्तांतरण	25,795	12,825	621,124	299,650
(नोट संख्या 9 देखें)				
	योग		**1,086,151**	**510,812**

'लेखा मानक 29 की अनुपालना में प्रावधानों में परिवर्तन (राशि रूपयों में)

विवरण	2019.20			2018.19
	ग्रेच्युटी	लीव इनकेशमेंट	ग्रेच्युटी	लीव इनकेशमेंट
प्रारम्भिक शेष	215,117	312,475	83,157	115,847
जोडियें : वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	304,904	412,512	180,375	264,826
योग	**520,021**	**724,987**	**263,532**	**380,673**
घटायें: वर्ष के दौरान किये गये भुगतान	46,284	78,068	48,415	68,198
अंतिम शेष	**473,737**	**646,919**	**215,117**	**312,475**

चालू दायित्व

नोट संख्या 6 : अल्पकालीन ऋण **(राशि रूपयों में)**

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
बैंक से असुरक्षित ऋण		
- एक्सिस बैंक लिमिटेड की बिक्री बिल बट्टाकरण सुविधा * (अधिकतम प्रयोग 90 दिन और ब्याज 8.25 प्रतिशत)	107,484,555	-
योग	**107,484,555**	-

उपरोक्त असुरक्षित ऋण की सुविधा बिना शर्त कंपनी के थोक दुग्ध क्रेताओं द्वारा माल के व्यावसायिक बिक्रय बिलों बिल ऑफ एक्सचेंज की स्वीकृति से समर्थित एवं सुरक्षित है। (नोट संख्या 14 भी देखें व्यावसयिक प्राप्य)

नोट संख्या 7 : व्यावसायिक देयतायें (राशि रूपयों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
माल व सेवाओं की व्यावसायिक देयतायें		
सूक्ष्म व लघु उपक्रमों का कुल बकाया *	-	-
सूक्ष्म व लघु उपक्रमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	28,834,722	18,450,473
योग	**28,834,722**	**18,450,473**

*प्रबन्धन के पास उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार, आपूर्तिकर्ताओं से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (MSMED Act.) के अंतर्गत उनकी स्थिति के बारे में प्राप्त जानकारी के आधार पर कोई भी आपूर्तिकर्ता (MSMED Act.) में पंजीकृत नही है इसलिए कंपनी के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को कोई भी राशि देय नही है।

नोट संख्या 8 : अन्य चालू दायित्व

(राशि रूपयों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
देय खर्चे	5,226,426	2,601,810
अदत्त / अन्य दायित्व	1,616,033	594,072
सदस्यों द्वारा अंशों के समर्पण के बदले देय '	67,600	22,900
देय वैधानिक दायित्व	449,382	377,971
प्रधानमंत्री केयर में देय अनुदान	241,820	-
पूंजीगत सामान के लिए देय	97,524	4,378,019
कर्मचारियों को देय	181,133	222,376
सदस्यों से अग्रिम	14,000	-
जारी किये गये चैकों के प्रति दायित्व	10,000	-
अदत्त / दावा नहीं किये गये लाभांश	10,112	6,264
प्राप्त अनुदान (उपयोग को घटाकर) (नोट 32 देखें)	400,723	75,750
Total	**8,314,754**	**8,279,162**

'कंपनी के निदेशक मण्डल ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 581ZD के अनुसार कुछ विशेष अंशधारकों को निर्देश दिये हैं कि वे अपनं समता अंशों को समर्पित करें क्योंकि वे कंपनी अंतर्नियमों में उल्लेखित कंपनी के सदस्यों के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करने में असफल रहे हैं। इस प्रकार 676 अंश (गत वर्ष 229 अंश) कंपनी को इनके अंकित मूल्य रूपये 100 प्रति अंश पर समर्पित किये गये हैं और इन अंशों को दूसरे योग्य सदस्यों को उसी मूल्य पर पुनः जारी किया गया है।

नोट संख्या 9 : अल्पकालीन प्रावधान

(राशि रूपयों में)

विवरण			31.03.2020 को	31.03.2019 को
कर्ममचारी लाभों के लिए प्रावधान (नोट 5 देखें)				
(i) ग्रेच्युटी			8,710	3,955
(ii) लीव इनकेशमेंट			25,795	12,825
	2019-20	**2018-19**		
(iii) कर के लिए प्रावधान*	3,461,000	941,000		
घटायें: अग्रिम कर एवं कोन्ट्रा के अनुसार टीडीएस	354,535	672,009	3,106,465	268,991
योग			**3,140,970**	**285,771**

*लेखा मानक 29 की अनुपालना में प्रावधानों में परिवर्तन (राशि रूपयों में)

विवरण	कर के लिए प्रावधान	
	2019-20	**2018-19**
प्रारम्भिक शेष	941,000	510,000
जोडेंः वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	3,463,789	961,784
घटायेंः वर्ष के दौरान अपलिखित किये गये प्रावधान	-	-
योग	**4,404,789**	**1,471,784**
घटायेंः वर्ष के दौरान किये गये भुगतान	943,789	530,784
अंतिम शेष	**3,461,000**	**941,000**

नोट संख्या 9 (i) : कर का प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80पीए के अंतर्गत कटौती के लाभ की लगभग 1,95,39,500 रूपये (गत वर्ष रूपये 43,97,500/—) की राशि को ध्यान में रखते हुए किया गया है। कंपनी द्वारा प्राप्त विशेषज्ञ राय के आधार पर कंपनी ने इसके द्वारा संचालित गतिविधियों को धारा 80पीए के तहत कटौती के उद्देश्य से "पात्र व्यवसाय" माना है।

नोट संख्या 9 (ii) : आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115JAA के अनुसार मेट क्रेडिट पात्रता, परन्तु पुस्तकों में चिन्हित नहीं किया गयाः

वित्तीय वर्ष	31.03.2020 को	समापन तिथी
2019-20	2,969,641	31-03-35
2018-19	696,634	31-03-34

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
उदयपुर
कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U01122RJ2016PTC049656

नोट संख्या 10: संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई)

(राशि रूपयों में)

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित मूल्य ह्रास/परिशोधन				शुद्ध ब्लॉक	
	01.04.2019 को शेष	वृद्धि	(कटौती)/ समायोजन	31.03.2020 को शेष	01.04.2019 को शेष	वृद्धि	(कटौती)/ समायोजन	31.03.2020 को शेष	01.04.2019 को शेष	वृद्धि
1) मूर्त संपत्तियां										
प्लांट एवं मशीनरी	33,229,430	507,600	-	33,737,030	5,267,072	4,145,218	-	9,412,290	24,324,740	27,962,358
फर्नीचर एवं फिटिंग	1,556,301	98,589	-	1,654,890	120,989	101,547	-	222,536	1,432,354	1,435,312
कार्यालय उपकरण	521,006	163,718	-	684,724	76,930	58,666	-	135,596	549,127	444,075
कम्प्यूटर्स	1,825,359	16,598	-	1,841,957	851,067	462,579	-	1,313,645	528,311	974,292
कुल मूर्त संपत्तियां (I)	**37,132,095**	**786,505**	**-**	**37,918,600**	**6,316,059**	**4,768,010**	**-**	**11,084,069**	**26,834,532**	**30,816,037**
II) अमूर्त संपत्तियां :										
सॉफ्टवेयर	59,351	21,700	-	81,051	42,071	11,433	-	53,504	27,547	17,280
कुल अमूर्त संपत्तियां (II)	**59,351**	**21,700**	**-**	**81,051**	**42,071**	**11,433**	**-**	**53,504**	**27,547**	**17,280**
III) प्रगतिशील पूंजी :										
स्वचालित दुग्ध संकलन इकाई	275,000			275,000	-	-	-	-	275,000	275,000
जीपीआरएस सहित डीपीएमसीयू	783,000			783,000	-	-	-	-	783,000	783,000
एमसीसी हेतु आरएमआरडी	267,860			267,860	-	-	-	-	267,860	267,860
ईटीपी इकाई	487,620			487,620	-	-	-	-	487,620	487,620
कुल प्रगतिशील पूंजी (III)	**1,813,480**	**-**	**-**	**1,813,480**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,813,480**	**1,813,480**
योग (I+II+III)	**39,004,926**	**808,205**	**-**	**39,813,131**	**6,358,129**	**4,779,443**	**-**	**11,137,572**	**28,675,559**	**32,646,797**
गत वर्ष	**21,599,956**	**18,467,485**	**1,062,515**	**39,004,926**	**3,024,753**	**3,333,376**	**-**	**6,358,129**	**32,646,797**	**18,575,203**

नोट (i) : मूल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय

विवरण		2019-20	2018-19
मूर्त संपत्तियां		4,768,010	3,316,253
अमूर्त संपत्तियां		11,433	17,124
कुल मूल्य ह्रास		**4,779,443**	**3,333,376**
जोडें: अनुमति नही दिये गये अनुदान पर लगने वाले मूल्य ह्रास का समायोजन	(नोट 3 देखें)	13,519	-
घटायें: अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों से जुडा मूल्य ह्रास	(नोट 3 देखें)	4,613,235	3,333,376
लाभ–हानि खाते में वसूल किया गया मूल्य ह्रास		**179,727**	**-**

नोट (ii) : पूंजीगत अनुदान से खरीदी गई एवं उपरोक्त अनुसूची में सम्मिलित संपत्तियों का विवरण निम्न प्रकार है (नोट संख्या 32 देखें)

(राशि रूपयों में)

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित मूल्य ह्रास/परिशोधन				शुद्ध ब्लॉक	
	01.04.2019 को शेष	वृद्धि	(कटौती)/ समायोजन	31.03.2020 को शेष	31.03.2019 को शेष	वर्ष के लिए	01.04.2019 को शेष	31.03.2020 को शेष	31.03.2020 को शेष	31.03.2019 को शेष
मूर्त संपत्तियां										
संयंत्र एवं मशीनरी	33,229,430	507,600	(628,620)	33,108,410	5,267,072	3,995,512	(6,954)	9,255,631	23,852,779	27,962,358
फर्नीचर एवं फिटिंग	1,556,301	-	-	1,556,301	120,989	98,836	-	219,825	1,336,476	1,435,312
कार्यालय उपकरण	521,006	-	(26,950)	494,056	76,930	47,064	(6,565)	117,429	376,627	444,075
कम्प्यूटर्स	1,825,359	-	-	1,825,359	851,067	462,348	-	1,313,415	511,944	974,292
अमूर्त संपत्तियां										-
सॉफ्टवेयर	59,351	-	-	59,351	42,071	9,475	-	51,546	7,805	17,280
प्रगतिशील पूंजी										-
मूर्त संपत्तियां	1,813,480	-	(487,620)	1,325,860	-	-	-	-	1,325,860	1,813,480
योग	**39,004,926**	**507,600**	**(1,143,190)**	**38,369,336**	**6,358,129**	**4,613,235**	**(13,519)**	**10,957,845**	**27,411,491**	**32,646,797**

* अनुमति नही दिये गये अनुदान का समयोजन सम्मिलित है (नोट संख्या 32 देखें)

नोट (iii): कम्पनी के स्वयं के कोष से खरीदी गई एवं उपरोक्त अनुसूची में सम्मिलित संपत्तियों का विवरण निम्न प्रकार है: (राशि रूपयों में)

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित मूल्य ह्रास/परिशोधन				शुद्ध ब्लॉक	
	01.04.2019 को शेष	वृद्धि	(कटौती)/ समायोजन	31.03.2020 को शेष	01.04.2019 को शेष	वर्ष के लिए	(कटौती)/ समायोजन	31.03.2020 को शेष	31.03.2020 को शेष	31.03.2019 को शेष
मूर्त संपत्तियां										
संयंत्र एवं मशीनरी	-	-	628,620	628,620	-	149,706	6,954	156,660	471,960	-
फर्नीचर एवं फिटिंग	-	98,589	-	98,589	-	2,711	-	2,711	95,878	-
कार्यालय उपकरण	-	163,718	26,950	190,668	-	11,602	6,565	18,168	172,500	-
कम्प्यूटर्स	-	16,598	-	16,598	-	230	-	230	16,368	-
अमूर्त संपत्तियां										
सॉफ्टवेयर	-	21,700	-	21,700	-	1,958	-	1,958	19,742	
प्रगतिशील कार्य में पूंजी	-	-								
अमूर्त संपत्तियां	-	-	487,620	487,620	-	-	-	-	487,620	-
योग	**-**	**300,605**	**1,143,190**	**1,443,795**	**-**	**166,208**	**13,519**	**179,727**	**1,264,068**	**-**

*अनुमति नहीं दिये गये अनुदान का समायोजन (नोट संख्या 32 देखें)

नोट संख्या 11 : आस्थगित कर संपत्तियां (शुद्ध)

आस्थगित कर शेष के मुख्य तत्वः (राशि रूपयों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
I) आस्थगित कर दायित्व (डीटीएल)		
कुल डीटीएल (I)	.	.
II) आस्थगित कर संपत्तियां (डीटीए)		
लेखांकन एवं कर मूल्य ह्रास में अंतर	26,701	-
ग्रेच्युटी हेतु प्रावधान	131,794	55,930
लीव इनकेशमेंट हेतु प्रावधान	179,973	81,244
अस्वीकृत प्रारम्भिक व्यय	9,389	17,549
कुल डीटीएल (II)	**347,856**	**154,722**
अंतिम आस्थगित कर संपत्तियां / (दायित्व)	347,856	154,722
घटायें: प्रारम्भि आस्थगित कर संपत्तियां / (दायित्व)	(154,722)	(78,064)
लाभ हानि विवरण में वसूल / (जमा) किये गये शुद्ध आस्थगित कर व्यय	**(193,133)**	**(76,659)**

नोट संख्या 12 : दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम (राशि रूपयों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
असुरक्षित एवं उचित माने गये		
जमा प्रतिभूति	49,799	38,799
योग	**49,799**	**38,799**

नोट संख्या 13: स्टॉक (राशि रूपयों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
मार्ग में स्टॉक:		
–दुग्ध	5,378,162	-
व्यापार में स्टॉक:		
–दुग्ध	-	1,685,488
–पशु–आहार एवं अन्य	309,917	561,014
–पेपर रोल एवं काट्रेज	60,482	-
योग	**5,748,561**	**2,246,502**

नोट संख्या 14: व्यावसायिक प्राप्य (राशि रूपयों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
असुरक्षित और उचित माने गये*		
बिल का भुगतान देय होने की तिथी से 6 माह से अधिक समय से बकाया ऋण	17,000	-
अन्य ऋण	139,881,120	23,605,130
योग	**139,898,120**	**23,605,130**

*व्यावसायिक प्राप्यों से जुड़ी बिल डिसकाउंटिग सुविधा हेतु नोट संख्या 6 देखें

नोट संख्या 15: रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य (राशि रूपयों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
(अ) हस्तगत रोकड़	-	-
(ब) बैंकों में जमा		
चालू खातों में	23,986,479	23,986,479
बचत खातों में	144,771	1,000,000
जमा खातों में (मूल परिपक्वता 3 माह या उससे कम)	1,000,000	-
(स) अन्य बैंक शेष	18,927,550	-
जमा खातों में (मूल परिपक्वता 3 माह से अधिक)*	2,499,991	184,245
योग	**44,058,800**	**20,954,157**

* अन्य बैंक शेषों में स्थायी जमा राशि रूपये शून्य –(पिछला वर्ष–शून्य) शामिल है। अन्य बैंक शेष में वो जमायें शामिल हैं जिनकी परिपक्वता अवधि चिठ्ठे की तिथी से 12 माह है।

नोट संख्या 16: अल्पकानील ऋण एवं अग्रिम (राशि रूपयों में)

विवरण			31.03.2020 को	31.03.2019 को
असुरक्षित उचित माने गये	**2019-20**	**2018-19**		
अग्रिम कर	250,000	550,000		
स्रोत पर कर की कटौती	104,535	122,009		
घटायें: कोंट्रा के अनुसार कर का प्रावधान	354,535	672,00	-	-
Total			-	-

नोट संख्या 17: अन्य चालू संपत्तियां (राशि रूपयों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
ब्याज उपार्जित परन्तु देय नहीं	260,046	166,812
पूर्व प्रदत्त व्यय	165,575	56,837
खर्चों के पेटे अन्य प्राप्य / अग्रिम	95,673	30,293
धानी से प्राप्य अनुदान (उपयोग के बाद शेष) (नोट संख्या 32 देखें)	-	-
योग	**522,531**	**252,705**

नोट संख्या 18: व्यवसाय से आय (राशि रूपयों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
उत्पादों की बिक्री		
–दुग्ध एवं खनिज मिश्रण	705,145,849	382,381,858
–पशु–आहार एवं खनिज मिश्रण	26,302,303	11,417,055
–अन्य सामान	874,856	94,684
योग	**732,323,009**	**393,893,597**

नोट संख्या 19 : अन्य आय (राशि रूपयों में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
बैंक जमाओं पर ब्याज की आय	1,075,898	1,233,794		
घटायें: अनुदान कोष पर अर्जित ब्याज नोट संख्या 30′ को हस्तांतरित	104,396	703,383	971,502	530,411
अन्य गैर–व्यावसायिक आय				
सदस्यों से प्रवेश शुल्क			189,317	236,819
विविध पुनः लिखे गये शेष			85,214	-
योग			**1,246,033**	**767,230**

*अनुदान अनुमोदन पत्र की शर्तों के अनुसार

नोट संख्या 20 : स्टॉक इन ट्रेड की खरीद (राशि रूपयों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
खरीदः		
–दुग्ध	608,033,910	337,945,00
–पशु आहार एवं खनिज मिश्रण	24,181,947	11,069,960
–अन्य सामग्री	877,893	95,284
अन्य संबंधित व्यय		
दुग्ध आपूर्तिकर्ताओं की आपूर्ति प्रोत्साहन राशि	2,744,280	991,488
योग	**635,838,030**	**350,101,736**

नोट संख्या 21 : परिचालन व्यय (राशि रूपयों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
उपभोग्य	661,496	1,449,360
भरने एवं खाली करने के खर्चें	223,572	94,919
माल आवक खर्चे	12,568,605	8,033,130
सहायक प्रोत्साहन राशि	13,491,373	8,132,939
बीएमसी बिजली व्यय	304,889	346,981
मजदूरी खच	650,865	777,323
किराया		
. बीएमसी	348,500	378,000
. पशु–आहार गोदाम	102,427	73,387
डीजल खर्च	2,113,494	2,608,100
मैसेजिंग खर्च	351,928	211,220
दुग्ध शीतलन खर्च	5,013,465	1,168,374
जांच खर्च	48,899	52,241
योग	**35,879,514**	**23,325,974**

नोट संख्या 22 : व्यवसाय में माल के स्टॉक में परिवर्तन (राशि रूपयों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
व्यवसाय में माल के स्टॉक में कमी / (वृद्धि)		
प्रारम्भिक स्टॉक	2,246,502	1,202,496
घटायें: अंतिम स्टॉक	5,748,561	2,246,502
स्टॉक में शुद्ध कमी / (वृद्धि)	**(3,502,059)**	**(1,044,006)**

नोट संख्या 23 : कर्मचारी लाभ व्यय (राशि रूपयों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(अ) वेतन एवं प्रोत्साहन राशि	11,354,606	7,625,947
(ब) भविष्य निधि में योगदान	904,282	509,224
(स) कर्मचारी राज्य बीमा निगम में योगदान	179,817	147,145
(द) कर्मचारी कल्याण व्यय	109,842	19,486
(य) कर्मचारियों को बोनस	398,509	86,719
(र) लीव इनकेशमेंट के लिए प्रावधान	412,512	264,826
(ल) ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	304,904	180,375
	13,664,472	8,833,722
घटायें: प्राप्त अनुदान (नोट संख्या 32 देखें)	2,809,375	2,532,861
योग	**10,855,097**	**6,300,861**

नोट संख्या 24 : वित्त लागतें (राशि रूपयों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
बैंक शुल्क	8,236	29,765
बिल बट्टाकरण पर ब्याज	580,536	-
ब्याज शुल्क		
आयकर पर (टीडीएस)	8,466	353
अन्य पर	8,009	-
योग	**605,247**	**30,118**

नोट संख्या 25 : अन्य व्यय (राशि रूपयों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
अंकेक्षकों को भुगतान		
-वैधानिक अंकेक्षक	82,500	75,000
-अंकेक्षण शुल्क पर जीएसटी / सेवाकर	14,850	13,500
-कर निर्धारण मामाले हेतु	19,470	14,160
-अन्य सेवायें	17,700	18,084
-खर्चो का भुगतान	13,038	3,834
निदेशकों को भुगतान		
- बैठक शुल्क	19,470	12,980
- परिवहन व्यय	6,087	3,068
फूड लाईसेंस का शुल्क	5,008	6,739
अधिकृत अंश पूंजी में वृद्धि का आरओसी शुल्क	-	206,144
कानूनी एवं वैधानिक शुल्क	573,153	446,783
किराया	283,150	240,375
पोस्टेज एवं कोरियर व्यय	4,397	2,508
गाडी–भाडा	27,065,788	6,263,901
बीमा शुल्क	205,726	23,097
इंटरनेट व्यय	160,416	108,429
टेलीफोन व्यय	166,943	141,240
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी व्यय	483,106	438,639
प्लांट एवं मशीनरी मरम्मत व्यय (बीएमसी)	1,020,933	527,036
कम्प्यूटर एवं अन्य का मरम्मत व्यय	147,990	63,926
भवन मरम्मत	6,050	22,809
मुख्यालय बिजली व्यय	120,288	48,833
यात्रा, कन्वेंस एवं अन्य अतिथि व्यय	1,865,650	1,615,716

नियुक्ति व्यय	25,743	127,048
ऑफिस व्यय	260,016	328,463
बैठक व्यय	256,456	189,414
क्लाउड शुल्क	132,169	116,395
कार्यक्रम एवं त्यौहार व्यय	-	29,764
किसान यात्रा व्यय	-	7,973
प्रशिक्षण व्यय	400,727	510,838
जीएसटी व्यय	50,801	-
सदस्यता पंजीयन शुल्क	66,545	-
उत्पादकता सुधार सेवा व्यय (अनुदान से अस्वीकृति की सीमा तक)	132,366	-
राउंड ऑफ (चक्रित)	254	2,183
योग	**33,606,792**	**11,608,879**

नोट संख्या 26 : पूर्व की अवधि की मदें

विवरण		**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**
पूर्व की अवधि की आय			
चिन्हित अनुदान*		-	342,670
पूर्व की अवधि के व्यय			
कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2018–19 का बोनस		421,781	-
घटायेंः प्राप्त अनुदान	(नोट संख्या 32देखें)	42,692	-
		379,089	**-**
योग		**379,089**	**342,670**

* गत वित्तीय वर्षों के दौरान हुए खर्चों एवं अनुदान कोष में हस्तांतरित की गई आय को बदलने (Reverse) करने के संदर्भ में

नोट संख्या 27 : प्रति अंश आय **(राशि रूपयों में)**

विवरण	**इकाई**	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**
समता अंश धारकों के लिए उपलब्ध कर के बाद शुद्ध लाभ (अ)	रू.	16,456,949	3,794,810
भारित औसत समता अंशों की संख्या (ब)	रू.	103,335	51,200
प्रति अंश मूल आय	रू	159.26	74.12
प्रति अंश न्यूनतम मूल्य	रू.	100	100
प्रति अंश डायल्यूटेड आय की गणना हेतु प्रयुक्त समता अंश	रू.	109,998	53,373
प्रति अंश डायल्यूटेड आय	रू.	149.61	71.10

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां, वित्तीय विवरणों के नोट्स

28. 31.03.2020 को कोई भी आकस्मिक दायित्व नही था।

29. कर्मचारी लाभ योजना (लेखा मानक–15)

अ) परिभाषित अंशदान योजनायें

कम्पनी अपने कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि और फेमेली पेंशन निधि के रूप में परिभाषित अंशदान योजना प्रदान करती है। कर्मचारी भविष्य निधि और फैमिली पेंशन निधि में सभी नियमित कर्मचारी सम्मिलित हैं। कर्मचारी भविष्य निधि की राशि को क्षैत्रीय कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त (RPFC) में जमा कराया जाता है। कम्पनी और कर्मचारी दोनों ही कर्मचारी भविष्य निधि और फैमिली पेंशन निधि में पूर्व निर्धारित अंशदान का भुगतान करते हैं। अंशदान सामान्यतया कर्मचारी के वेतन के निश्चित अनुपात पर आधारित हैं। कम्पनी ने लाभ–हानि विवरण में इस वर्ष 9,04,284 रूपये (गत वर्ष 5,09,224 रू.) की राशि को कर्मचारी भविष्य निधि और फैमिली पेंशन निधि अंशदान के रूप में दर्शाया है।

ब) परिभाषित लाभ योजनायें

कम्पनी अपने कर्मचारियों को लीव इनकेशमेंट और ग्रेच्युटी योजना (एकमुश्त राशि) के रूप में परिभाषित लाभ योजनायें प्रदान करती है। परिभाषित लाभ योजना के लाभ सेवा के वर्षों और कर्मचारी क्षतिपूर्ति (सेवानिवृति से तुरन्त पहले) पर निर्भर करते हैं। ऐसी योजना में सभी नियमित कर्मचारी सम्मिलित हैं। इसकी प्रतिबद्धताओं का निर्धारण वर्ष के अंत में किया जाता है। परिवर्तित वास्तविक अनुमानों के प्राप्तियों और क्षतियों को लाभ–हानि विवरण दिखाया जाता है।

निम्न तालिका परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत लीव इनकेशमेंट और ग्रेच्युटी और वित्तीय विवरणों में दर्शायी गई राशि को दिखाती है।

राशि रूपयों में

विवरण	**31 मार्च 2020 को**		**31 मार्च 2019 को**	
	लीव इनकेशमेंट	**ग्रेच्युटी**	**लीवइनकेशमेंट**	**ग्रेच्युटी**
I. अनुमान				
मृत्यु दर	IALM 2006-08 Ult.	IALM 2006-08 Ult.	IALM 2006-08 Ult.	IALM 2006-08 Ult.
बट्टा दर	6.80% p.a	6.80% p.a	7.70% p.a	7.70% p.a
क्षतिपूर्ति में वृद्धि की दर	7.00% p.a.	7.00% p.a.	7.00% p.a.	7.00% p.a.
नियोजन संपत्तियों की निकासी दर पर आय की दर (अपेक्षित)	-	-	-	-
अपेक्षित औसत शेष सेवा (वर्ष)	28.49	28.49	30.21	30.21
II- **दायित्वों के वर्तमान मूल्यों में कमी (पीवीओ)**				
शुरूआती अवधि में पीवीओ	312,475	215,117	115,847	83,157
ब्याज की लागत	21,248	14,628	8,920	6,403
वर्तमान सेवा दर	163,086	228,064	118,821	142,167
चुकाये गये लाभ	(78,068)	(46,284)	(68,198)	(48,415)
दायित्वों पर वास्तविक (लाभ) / हानि	228,178	62,212	137,085	31,805
अवधि के समापन पर पीवीओ	646,919	473,737	312,475	215,117

III- चिट्ठे में चिन्हित की जाने वाली राशियां				
अवधि के समापन पर पीवीओ	646,919	473,737	312,475	215,117
अवधि के समापन पर प्लान संपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-	-
वित्त–पोषण की स्थिति				
गैर–चिन्हित वास्तविक लाभ / (हानि)	-	-	-	-
चिट्ठे में चिन्हित शुद्ध दायित्व / (संपत्तियां)	**646,919**	**473,737**	**312,475**	**215,117**
IV- **लाभ–हानि विवरण में चिन्हित व्यय**				
वर्तमान सेवा लागत	163,086	228,064	118,821	142,167
ब्याज की लागत	21,248	14,628	8,920	6,403
प्लान संपत्तियों पर अपेक्षित आय	-	-	-	-
अवधि के लिए चिन्हित शुद्ध वास्तविक लाभ / हानि	228,178	62,212	137,085	31,805
लाभ–हानि विवरण में चिन्हित व्यय	412,512	304,904	264,826	180,375
V- **चिट्ठे में चिन्हित दायित्वों में परिवर्तन**				
शुद्ध प्रारम्भिक दायित्व	312,475	215,117	115,847	83,157
उपरोक्तानुसार व्यय	412,512	304,904	264,826	180,375
चुकाये गये लाभ	(78,068)	(46,284)	(68,198)	(48,415)
शुद्ध अंतिम दायित्व	**646,919**	**473,737**	**312,475**	**215,117**

30. लेखा मानक 18– संबंधित पक्षकारों का प्रकटीकरणः

कम्पनी ने उन सभी संबंधित पक्षकारों को चिन्हित कर लिया है जिनके साथ उक्त अवधि के दौरान लेन–देन हुए हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः

अ. संबंधः

मुख्य प्रबन्धन–कर्मी (निदेशक) :

–बलजिंदर सिंह	निदेशक
–बृजेश नारायण सिंह	निदेशक
–धर्मेन्द्र कुमार	मुख्य कार्यकारी अधि. एवं निदेशक (नियुक्ति 30.04.2018 से)
–कन्या	निदेशक
–लक्ष्मी कुमारी	निदेशक
–पुष्पा कंवर	निदेशक
–रेखा कंवर	निदेशक
–रेखा	निदेशक
–सागर कंवर	निदेशक
–सीता कंवर	निदेशक
–सुखी	निदेशक
–यज्ञ देव शर्मा	कम्पनी सचिव (नियुक्ति 1.11.2018 से प्रभावी)

ब. उपरोक्त पक्षकारों के साथ लेनदेनों की प्रकृतिः

लेनदेनों की प्रकृति	2019-20	2018-19
प्रबन्धकीय पारिश्रमिक	1,471,835	988,802
बैठक शुल्क	19,470	12,980
यात्रा व्ययों का भुगतान	6,087	14,500
चुकाया गया लाभांश	1,040	624
खरीदः (चालू वर्ष 18123.90 लीटर एवं गत वर्ष 11307.00 लीटर)	723,345	446,823

31. लीज व्यवस्था (लेखा मानक–19)

कम्पनी ने कार्यालय भवन के लिए लीज व्यवस्था की है। कम्पनी ने लीज किराया व्यय राशि के रूप में मुख्यालय, दांतीवाडा बीएमसी युनिट, बोया बीएमसी यूनिट एवं पशु–आहार गोदाम के लिए क्रमशः रू. 2,83,150 (गत वर्ष रू. 2,40,375), 2,22,000 (गत वर्ष रू. 1,80,000), 1,26,500 रूपये (गत वर्ष रू. 1,98,000) तथा रूपये 1,02,427 (गत वर्ष रू. 73,387) की राशि को लाभ–हानि विवरण में दर्शाया है।

लीज कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय और थोक दुग्ध संग्रहण इकाई के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए है जिसे कोई भी पक्षकार 3 माह पूर्व लिखित नोटिस देकर निरस्तत कर सकता है। अनुबन्ध में 10 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि दर हेड ऑफिस के लिए तथा दांतीवाडा इकाई, बोया इकाई एवं बोया पशु आहार गोदाम की किराया वृद्धि के लिए हर 3 साल के ब्लॉक पर 10 प्रतिशत की वृद्धि दर का प्रावधान है। दांतीवाडा गोदाम का किराया लीज किराये की राशि पर हर वर्ष 10 प्रतिशत की दर से बढाये जाने का प्रावधान है।

भावी न्यूनतम लीज किराये का भुगतानः (राशि रूपयों में)

विवरण	2019.20	2018.19
एक वर्ष के बाद देय नहीं	431,300	410,418
एक वर्ष के बाद देय परन्तु तीन वर्ष के बाद देय नहीं	380,380	365,557
तीन वर्ष के बाद देय	-	-

32. डेयरी हेल्थ एण्ड न्यूट्रीशन इनिसियेटिव इंडिया फाउण्डेशन (धानी) से प्राप्त/प्राप्य अनुदान के उपयोग का विवरण निम्न प्रकार है –

विवरण	2019.20		2018.19	
	विवरण	राशि रूपयों मे	विवरण	राशि रूपयों में
प्रारम्भिक शेष		75,750		14,728,364
जोडें: अवधि के दौरान प्राप्त	12,924,50		14,765,000	
जोडें: टीडीएस के बाद अनुदान कोष पर प्राप्त ब्याज (नोट सं. 19)	104,396	13,028,896	703,383	15,468,383
घटायें: वर्ष के दौरान लौटायी गई राशि		7,202,044		5,111,126
घटायें: अवधि के दौरान उपयोग				

(i) आस्थगित अनुदान में ले जाई गई पूंजीगत संपत्तियों के लिए (नोट सं. 3 देखें)				
—अवधि के दौरान पूंजीगत की गई स्थायी संपत्तियां	507,600		16,927,605	
घटायें: बेची गई संपत्तियां	-		-	
घटायें—प्रारम्भिक सीडब्लूआईपी से पूंजीगत की गई संपत्तियां	-	507,600	(1,061,115)	15,866,490
स्थापित की जा रही संपत्तियां				1,538,480
(ii) आयगत व्ययों के लिए (आयगत अनुदान)'				
प्रजनन और न्यूट्रीशन सेवाओं संबंधित पीईएस व्ययों के लिए''		4,298,905		4,863,655
—अन्य आयगत व्ययों के लिए +	1,838,565	6,137,470	2,741,246	7,604,901
—अनुदान की अनुमति नहीं होने का समायोजनरु		1,143,190		
बचे हुए अनुदान को नोट सं. 8 में ले जाया गया (प्राप्य अनुदान को नोट सं. 17 में ले जाया गया)		**400,723**		**75,750**

** अुनदान अनुमोदन पत्र के अनुसार अनुदान की राशि में से व्यय / घाटे की सीमा तक निकाली गई राशि।

रुरु उन संपत्ति, संयत्र एवं उपकरणों (पीपीई) को दर्शाता है जो गत वित्तीय वर्ष (2018–19) में अनुदान की राशि से खरीदे गये है, चूंकि इसके लिए धानी की अनुमति नही है। वर्ष के दौरान पीपीई में किये गये समायोजन तथा नोट सं. 10 में उल्लेखित मूल्य ह्रास जोकि राशि रूपये 13,519/— है, को पिछले वर्षों में आस्थगित अनुदान से वसूल किया गया है को बदलकर इस वर्ष लाभ–हानि विवरण में दर्शाया गया है। इसके अलावा पिछले वर्षों में लायी गई 11,43,190/— रूपये की आस्थगित अनुदान की राशि को बदलकर बची हुई (खर्च नही हुई) अनुदान की राशि को बढा दिया गया है।

'कुल राशि में निम्नलिखित सम्मिलित है:

विवरण		2019.20	2018.19
—वेतन खर्च	(नोट सं. 23 देखें)	2,837,414	2,532,861
—पीईएस से जुडे व्यय		1,461,491	2,330,794
	योग	**4,298,905**	**4,863,655**

कुल राशि में निम्नलिखित सम्मिलित है:

विवरण	2019-20	2018-19
आवक परिवहन व्यय	-	167,000
जवक परिवहन व्यय	1,759,382	925,618
मानव श्रम वेतन एवं यात्रा व्यय	14,653	1,035,000
प्रशिक्षण	43,080	168,992
शासकीय व्यय	21,450	24,550
एफयूसी में पूंजीगत लागत के रूप में दावा किये गये व्यय	77,416	
गत वर्षों में अनुदान कोष में हस्तांतरित की गई राशि की वापसी	-	258,938
गत वर्षों में किये गये राजस्व व्यय	-	83,732
योग **1,838,565**		**2,741,246**

नोटः पूंजीगत संपत्तियों की खरीद में प्रयोग की गई अनुदान की राशि को आस्थगित अनुदान के रूप में दर्ज किया गया है। आयगत अनुदान की राशि को लेखांकन नीति संख्या बी(8) के अनुसार संबंधित खर्चों से समायोजित किया गया है।

33. कम्पनी दुग्ध और पशु–आहार के व्यवसाय में संलग्न है जिसे एकल व्यावसायिक क्षेत्र माना जाता है। कम्पनी भारत के एक भौगोलिक क्षेत्र में संचालित है। लेखा मानक एएस–17 के अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण लागू नही है क्योंकि कम्पनी केवल एक ही व्यवसाय और भौगोलिक क्षेत्र में संचालित है।

34. कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–III के अनुसार सभी संपत्तियों और दायित्वों को चालू और गैर–चालू के रूप में दर्शाया गया है। कम्पनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओ, इसकी गतिविधियां और कार्यान्वयन के आधार पर कम्पनी ने अपने परिचालन चक्र को 12 माह से कम माना है। इसी अनुसार संपत्तियों और दायित्वों का वर्गीकरण चालू/गैर चालू के रूप में करने के लिए 12 माह की अवधि मानी गई है।

35. कम्पनी के पास बैंकों और अन्य पक्षकारों से नियमित अंतराल पर शेष/बकाया की पुष्टि करने के लिए एक निर्धारित प्रणाली है। बैंक खातों और बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण के संदर्भ में वर्तमान में कोई भी अपुष्ट शेष/बकाया नही है। जहां तक व्यावसायिक/अन्य प्राप्यों, व्यावसायिक/अन्य देयताओं एवं ऋणों तथा अग्रिमों का प्रश्न है उसके लिए पक्षकारों को अंकेक्षण के मानक (एसस) 505 (संशोधित) बाह्य पक्षकारों से पुष्टि हेतु नकारात्मक कथन के साथ भेजे गये है। ऐसें से कुछ शेष पुष्टि/मिलान करने पर निर्भर हैं जिसकों प्रबन्धकों की राय में कोई महत्वूपर्ण प्रभाव नही होगा।

36. मार्च, 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड–19 को एक वैश्विक महामारी घोषित किया है जिसका पूरे देश और विश्व में प्रसार जारी है। 25 मार्च 2020 को भारत सरकार ने इस महामारी को स्वास्थ्य आपदा घोषित किया और पूरे देशभर में लॉकडाउन का आदेश दिया। कम्पनी ने विभिन्न्न एमपीपी, बीएमसी एवं अन्य व्यावसायिक स्थानों पर कई नवाचार लागू किये जिसमें अपने कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और व्यवसाय का न्यूनतम व्यवधानों के साथ संचालन के लिए कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा के साथ–साथ कार्य स्थल पर सामाजिक दूरी और कार्य–स्थल का उचित सेनेटाईजेशन जैसी चीजें लागू की। कम्पनी दुग्ध और पशु–आहार का व्यवसाय करती है जिसे मूलभूत वस्तुओं की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया और इसका परिचालन लोगों के आने–जाने एवं आपूर्ति श्रृंखला की कम चुनौतियों के साथ जारी रहा। वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख तक उपलब्ध आंतरिक एवं बाह्य सूचनाओं के आधार पर परिस्थितियों के वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार कम्पनी का मानना है कि कम्पनी के वर्तमान एवं भावी दोनों ही व्यावसाय, संपत्तियों, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, लाभ एवं तरलता पर कोविड–19 का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नही पडेगा। कम्पनी आर्थिक वातावरण और आने वाले समय में इसके व्यवसाय पर पडने वाले प्रभावों के किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण परिवर्तन की गहनता से निगरानी करेगी।

37. अनुसूची–III में चाहे गये अन्य सभी प्रकटीकरण या तो शून्य हैं या लागू नही होते हैं।

38. गत अवधि की संख्याओं को आवश्यकतानुसार चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के संदर्भ में देखने के लिए पुनःसमुहित/वर्गीकृत किया गया है।

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से **हमारी उक्त तिथी की संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में**

वास्ते कालानी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउटेंट्स
फर्म पंजीयन सं.: 000722सी

(कन्या)
चैयरमेन
DIN: 08480274

(धर्मेंद्र कुमार)
मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
DIN: 08122632

(सागर कंवर)
निदेशक
DIN: 07544839

कमलेश कुमार खंडेलवाल
पार्टनर
सदस्यता सं. 416293

(यज्ञ देव शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 45053

(मणिक बाहेती)
वित्त प्रमुख
पेन: BEHPB1032F

स्थानः उदयपुर
दिनांकः 08 सितंबर, 2020

स्थानः जयपुर
दिनांकः 10 सितंबर, 2020

श्री धर्मेंद्र कुमार, मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक कंपनी की ओर से 13 फरवरी, 2020 को मुंबई के होटल सहारा स्टार में फ्रैंचाइज इंडिया, द एंटरप्रेन्योर और **ZEE** बिजनेस द्वारा आयोजित स्माल बिजनेस अवार्ड्स 2020 में ''एग्रीबिजनेस ऑफ द ईयर'' पुरस्कार लेते हुए।

Asha

मूल्य (Values)

संस्था का हित सर्वोपरि, ईमानदारी, जागरूकता एवम जिम्मेदारी, आपसी सहयोग, पारदर्शिता, समय की पाबंदी, गुणवत्ता।

ध्येय (Mission)

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी अपनी सदस्याओं से गुणवत्ता आधारित दूध, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर खरीदने तथा दूध उत्पादन के लागत खर्च कम करने एवं दूध उत्पादन वृद्धि के लिए तकनीकी सुविधा प्रदान करते हुए सदस्याओं को दूध व्यवसाय से अधिकतम लाभ अर्जित कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

दीर्घदृष्टि (Vision)

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी दूध व्यवसाय के क्षेत्र में राजस्थान राज्य की सर्व श्रेष्ठ व्यवसायिक संस्थाओं में से एक बनेगी और अपने दूध एवं दूध–उत्पादों की उच्च गुणवत्ता के लिए जानी जाएगी। कंपनी अपने कार्य क्षेत्र की सभी पशुपालक महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए पहली पसंद होगी।

प्रेषकः

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

(सीआईएन : U01122RJ2016PTC049656)

हाउस न. 14, वर्मा कॉलोनी, सविना हिरण मगरी, सैक्टर –9, उदयपुर, 313002

दूरभाष संख्या– 0294–2481466

ई–मेल : info@ashamilk.com